मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

दशम् प्रतिवेदन

(फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18, मार्च 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

<u>विषय सूची</u>

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1
	(2) जल संसाधन	6
	(3) राजस्व	10
	(4) गृह(पुलिस)	14
	(5) नर्मदा घाटी विकास	20
	(6) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	21
	(7) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	24
	(8) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	27
	(9) लोक निर्माण	28
	(10) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	31
	(11) स्कूल शिक्षा	36
	(12) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	38
	(13) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	39
	(14) सहकारिता	41
	(15) वन	45
	(16) आयुष	47
	(17) चिकित्सा शिक्षा विभाग	48
	(18) आदिम जाति कल्याण	49
	(19) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	50
	(20) ऊर्जा	51
	(21) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	53
	(22) सामान्य प्रशासन	57
	(23) महिला एवं बाल विकास	58
	(24) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	60
	(25) भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	61

	(26) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	62
	(27) खेल एवं युवक कल्याण	63
	(28) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	64
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	65
	(ii) परिशिष्ट - 2 (जांच के अनिर्णीत प्रकरण)	66
	(iii) परिशिष्ट - 3 (उत्तर अप्राप्त)	68
	(iv) परिशिष्ट - 4 (फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	69

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का दशम् प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 612 आश्वासन, जिनमें से **आश्वासन क्रमांक 249 एवं 255 तथा आश्वासन क्रमांक 492 एवं 493** का विषय एवं स्वरूप एक समान होने के कारण इन आश्वासनों को एकजाई किये जाने के फलस्वरूप कुल 610 आश्वासन दिये गये थे। 473 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है तथा 01 आश्वासन विलोपित किया गया है। इस प्रकार शेष 136 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस दशम् प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का कतिपय विभागों द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. इस संबंध में समिति की विशेष टिप्पणी (परिशिष्ट - 1) पर प्रदेश के मुख्य सचिव व संसदीय कार्य विभाग उचित कार्रवाई करें, यह समिति की अपेक्षा है।

6. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

7. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 17.03.2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	02, 04, 06, 07, 10, 12, 15, 17, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43, 516
2.	जल संसाधन	58, 59, 61"बी", 77, 79, 85, 87, 251
3.	राजस्व	94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 113, 116, 122, 126, 129, 550, 600, 605
4.	गृह(पुलिस)	135, 136, 143, 155, 159, 162, 163, 166, 179, 186, 190, 194
5.	नर्मदा घाटी विकास	157
6.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	204, 210, 214, 221, 222, 228
7.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	237, 238, 243, 246, (255+249), 260, 267, 268, 269
8.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	298
9.	लोक निर्माण	302, 307, 310, 317, 320, 325, 326
10.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	330, 332, 336, 337, 338, 346, 347, 349, 351, 352, 355, 356, 358
11.	स्कूल शिक्षा	363, 377, 383, 387, 389, 406, 417, 421
12.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	426
13.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	435, 436, 437
14.	सहकारिता	442, 443, 444, 447
15.	वन	97, 461, 463 "ए", 464, 469
16.	आयुष	475
17.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	477, 483, 487
18.	आदिम जाति कल्याण	(492+493)
19.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	497, 501
20.	ऊर्जा	505, 508, 509, 511
21.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	533
22.	सामान्य प्रशासन	159, 548
23.	महिला एवं बाल विकास	564, 565, 572
24.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	575, 576
25.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	590
26.	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	595
27.	खेल एवं युवक कल्याण	599
28.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	564

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.314) दि. 28.02.2002	सागर नगर निगम में जल प्रदाय योजना के अंतर्गत समयपाल श्री सुदर्शन तिवारी द्वारा शासकीय धन का दुरूपयोग किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जावेगी।	श्री सुदर्शन तिवारी समयपाल द्वारा अवैध नल कनेक्शन के कारण की गई कार्यवाही के अंतर्गत किये गये गबन के कारण विभागीय जांच कराकर जांच अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 30.09.03 के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्र./स्था/ न.नि.05/ 1370 दिनांक 30.05.05 द्वारा श्री सुदर्शन तिवारी को सेवा मुक्त किया जा चुका है। गबन की राशि वसूल करने हेतु श्री सुदर्शन तिवारी के विरूद्ध दिनांक 21.06.04 को पत्र क्र. 4369 द्वारा थाना गोपालगंज सागर को प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने हेतु भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
2	04	अता.प्र.सं.04 (क्र.886) दि. 28.02.2002	वार्ड-29 क्षेत्रीय पार्षद (श्री मुकेश राय) एवं नागरिकों द्वारा प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास को स्कूल भवन के निर्माण हेतु दिये गये ज्ञापन पर विचार।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।	वार्ड-29 नया बसेरा खेल मैदान में शाला भवन निर्माण हेतु 02 कमरों का निर्माण कार्य जिनका साईज 12X18 दिनांक 17.01.2005 को पूर्ण करा दिया गया। इस पर राशि रूपये 1,99,886/- व्यय की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1985/1911/2011/18-2, दिनांक 26.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
3	06	परि.अता.प्र.सं.51 (क्र.2036) दि. 07.03.2002	बैतूल जिले की नगर पालिका सारणी द्वारा इटारसी की फर्म से खरीदे गये स्ट्रीट लाईट फिक्सचर के फ्लैप तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता के रेखांकित चैक को बेयरर कर नगद भुगतान कर अनियमितता किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता प्रमाणित होती है। जिसके लिये संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग भोपाल द्वारा की गई। जांच में श्री जी.पी. भार्गव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया। श्री जी.पी. भार्गव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ-4-69/2003/18-1, भोपाल, दिनांक 29.04.04 को दिया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **8408/2351/05/18-2, दिनांक 27.12.2006** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 6214/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 15.03.2007 तथा क्रमश: पत्र दिनांक 07.07.2009, 27.05.2011, 24.09.2012, 16.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	07	अता.प्र.सं.30 (क्र.1361) दि. 07.03.2002	नगर पालिका डबरा द्वारा नगर के ओव्हर ब्रिज पर बगैर निविदा बुलाये किये गये डामरीकरण की जांच तथा कार्यवाही ।	प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच करायी गयी । अध्यक्ष नगर पालिका डबरा को आगामी पांच वर्ष के लिए आगामी चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है । मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर कार्यवाही पृथक से प्रचलित है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
5	10	ता.प्र.सं.24 (क्र.2034) दि. 15.03.2002	बैतूल जिले की नगर पालिका सारणी के सी.एम.ओ. द्वारा अनियमित रूप से अनुदान राशि से माह मई एवं जून 2000 के वेतन का भुगतान किए जाने एवं वर्ष 1999-2000 में नगर पालिका सारणी द्वारा किए गए संपत्ति कर की दर की वृद्धि के त्रुटिपूर्ण विज्ञापन दिए जाने तथा विज्ञापन के देयक के अनियमित भुगतान के दोषी सी.एम.ओ. व कर्मचारियों पर कार्यवाही	1. जांच की जाएगी । 2. विज्ञापन त्रुटिपूर्ण था । जांच की जाएगी।	प्रकरण में विभागीय जांच प्रचलित होने के कारण प्रकरण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6146/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
6	12	परि.अता.प्र.सं.83 (क्र.3304) दि. 15.03.2002	झाबुआ नगर पालिका परिषद में नियम विरूद्ध प्रकाश सामग्री क्रय की जांच एवं कार्यवाही । झाबुआ नगर पालिका परिषद अंतर्गत शहरी विकास अभिकरण की धनराशि का फर्जी मस्टर बनाकर आहरण किए जाने की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है, प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6475/2008/18-1, दिनांक 29.07.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
7	15	अता.प्र.सं.07 (क्र.720) दि. 15.03.2002	नगर पालिका इटारसी एवं पिपरिया के अंतर्गत पार्षदों द्वारा दिनांक 01.01.99 से 01.01.2000 तक किए गये आवेदन में धारा 57 के तहत कार्यवाही न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	नगर पालिका इटारसी द्वारा धारा 57 के तहत प्राप्त तीन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही न करने के लिए जांच करायी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	नगर पालिका इटारसी में पार्षदों द्वारा निर्धारित संख्या में आवेदन न देने और आवेदन में धारा का उल्लेख नहीं करने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2672/2008/18-1, दिनांक 10.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
8	17	अता.प्र.सं.66 (क्र.2954) दि. 15.03.2002	उप संचालक कार्यालय ग्वालियर में पदस्थ कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	दोष सिद्ध होने पर ।	संभागीय उप संचालक कार्यालय के कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अंतिम देयक पारित किया जाता है । इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है । प्रकरण अत्यधिक पुराना है एवं शिकायत भी प्राप्त न होने के कारण प्रकरण का निराकरण संभव नहीं हो पा रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	23	परि.अता.प्र.सं.84 (क्र.4338) दि. 22.03.2002	भोपाल नगर निगम द्वारा कालोनियों में बाह्य विकास हेतु दिए गए शुल्क से सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। निर्माण कार्य के प्रस्ताव की सक्षम स्वीकृति वित्तीय स्थिति अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	नगर निगम भोपाल ने विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण कराया है और सड़कों का निर्माण कार्य जारी होने के कारण आश्वासन प्रासंगिक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
10	24	ता.प्र.सं.05 (क्र.5025) दि. 05.04.2002	1. डबरा नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही। 2. सी.एम.ओ. द्वारा रिलीव होने के उपरांत भी पुरानी तिथि से चेक काटे जाने पर कार्यवाही। 3. संबंधित सी.एम.ओ. के विरूद्ध चल रही जांच के पूर्ण होने तक उन्हें ऑफिस अटैच रखा जाना।	1. परीक्षण बहुत जल्द कर लिया जाएगा और सी.एम.ओ. जिस दण्ड का अधिकारी होगा उसको दंडित किया जायेगा। 2. यदि आज की तारीख में उनके द्वारा चेक कटे हुए मिल गये तो मैं सदन के सामने घोषणा करता हूँ कि मैं उसको निलंबित कर दूंगा। 3. वैसे तो जांच रिपोर्ट आ गयी है और हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण में जो भी निकलेगा उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे।	विधानसभा में दिये गये आश्वासन के बारे में जांच में दोषी पाये जाने पर अध्यक्ष को आगामी 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने अयोग्य घोषित कर दिया गया है। श्री सुरेशचंद जैन, सी.एम.ओ. को विभागीय आदेश दिनांक 16.07.02 को निलंबित कर दिनांक 12.07.02 को आरोप पत्र पूर्व में ही जारी किए गये थे। 2. जांच की कार्यवाही समय पर पूरी कर ली गई है और श्री जैन को नगर पालिका डबरा से हटा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
11	27	ता.प्र.सं.13 (क्र.76) दि. 05.04.2002	जनवरी 96 से दिसम्बर 2001 तक नगर निगम ग्वालियर में देवी सिंह अहिरवार द्वारा 250 कट्टों में राजस्व की हेराफेरी की शिकायत की जांच एवं उक्त प्रकरण में लेखा अधिकारी श्री गुप्ता के क्रियाकलापों की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन पर प्रभक्षित राशि स्पष्ट हो सकेगी। 2. पूरे प्रकरण की जांच राजस्व आयुक्त से कराने के आदेश जारी करेंगे।	प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा जांच की गयी है। दोषियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
12	28	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र.3683) दि. 05.04.2002	नगर पंचायत ब्यौहारी में 10 लाख की खरीदी गई क्लोरिन में अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	पूरे मामले की जांच कर ली जायेगी।	नगर परिषद ब्यौहारी, जिला शहडोल के उक्त प्रकरण में जांच की गई, जांच उपरांत संबंधित उत्तरदायी अधिकारी श्री पी.के. सिंह, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित किया गया तथा विभागीय जांच प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2472/2569/2015/18-2, दिनांक 29.07.2015** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20415/वि.स./आश्वा./2015 दि. 11.09.2015 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***आश्वासन 13 वर्ष के दोषी के विरूद्ध अभी तक जांच पूर्ण न होने का क्या कारण है, जांच में विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ जांच पूर्ण की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	32	अता.प्र.सं.22 (क्र.3705) दि. 05.04.2002	सीधी जिले की नगर पालिक निगम सिंगरौली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों को मूल विभाग में वापसी।	मूल विभाग में भेजने हेतु नगर निगम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही संभव होगी।	नगर निगम, सिंगरौली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1933/2008/18-1, दिनांक 30.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
14	33	अता.प्र.सं.99 (क्र.5781) दि. 05.04.2002	विदिशा नगर पालिका सीमा क्षेत्र में नीम तालाब गहरीकरण कार्य में शासकीय राशि के दुरूपयोग की जांच एवं कार्यवाही।	उप संचालक भोपाल का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	प्रकरण की जांच 6 सदस्यीय कमेटी का जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4010/2008/18-1, दिनांक 02.08.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
15	34	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 05.04.2002	छिंदवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में रोड चौड़ीकरण हेतु 50 साल के पूर्व के पट्टों तथा नजूल के विधिवत पट्टों की दुकानों को तोड़कर समाप्त किए गये अतिक्रमण में विस्थापित 1500 लोगों के स्थाई व्यवस्थापन किए जाने की अवधि।	कलेक्टर ही यह व्यवस्थापन की व्यवस्था करेंगे, 6 माह में लगभग इसकी कार्यवाही की जायेगी।	पट्टे देने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। इस कारण विभाग के स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। आश्वासन राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
16	35	परि.अता.प्र.सं.46 (क्र.4521) दि. 05.04.2002	नगर पंचायत भिण्ड के पार्षदों द्वारा सचिव नगरीय प्रशासन को जांच हेतु दिए गए अभ्यावेदन पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	तत्कालीन परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नयी परिषद का गठन हो गया हैं। ऐसी स्थिति में तत्कालीन अध्यक्ष की जांच करना प्रासंगिक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
17	37	ता.प्र.सं.07 (क्र.5840) दि. 12.04.2002	दमोह जिले की पथरिया नगर पंचायत में सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराई जाना।	माननीय सदस्य की मांग सही है। तत्कालीन सी.एम.ओ. श्री राजपूत को निलंबित करने की घोषणा करता हूँ और विधिवत जांच करा लेंगे।	प्रकरण में तत्कालीन सी.एम.ओ. को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6140/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
18	40	परि.अता.प्र.सं.49 (क्र.5691) दि. 12.04.2002	नगर पालिका परिषद श्योपुर जिला श्योपुर में प्रेसीडेंट इन-कौंसिल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें निकाय के प्रेसीडेन्ट-इन-कौंसिल के सदस्यों (पार्षदों) द्वारा शासन आदेश क्रमांक एफ-04-406/2000/18-1, दिनांक 09.11.01 का पालन नहीं करने के लिए दोषी बताया गया है। उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत संबंधितों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1** **1-54/2002/18-1, दिनांक 27.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 11078/वि.स./आश्वा./2009 दि. 07.07.2009 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	43	अता.प्र.सं.04 (क्र.1808) दि. 12.04.2002	नगर पालिका सतना में मेयर इन कौंसिल के निर्णय दिनांक 07.02.02 पर कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में तथ्यों एवं म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण निमंत अपील) नियम 1966 के अनुसार गुणदोषों पर कार्यवाही की जाएगी।	मेयर इन कौंसिल द्वारा कुआं सफाई कार्य की जांच हेतु तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में कुआं सफाई कार्य का भुगतान नहीं होने तथा निगम को कोई आर्थिक क्षति नहीं होने के कारण प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2503/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं
20	516	अता.प्र.सं.02 (क्र.2549) दि. 13.03.2002	भोपाल भोजवेट लैण्ड परियोजना के अन्तर्गत खानूगांव में पार्क बनाया जाना तथा बड़े तालाब भोपाल के किनारे बसे ग्राम कोल्हूखेड़ी एवं हलालपुर में खोदी गई मिट्टी को फिकवाने के कार्यों में अनियमितता।	(1) भोजवेट लैण्ड परियोजना द्वारा उपरोक्त अनुमोदन अनुसार रू. 5,46,520 की राशि भू-अर्जन हेतु कलेक्टर भोपाल को प्रेषित की जा रही है उसके पश्चात भोजवेटलेण्ड परियोजना द्वारा पार्क का निर्माण करवाया जायेगा। (2) निश्चित रूप से जो विधायक जी ने अपनी भावना व्यक्त की उसका मैं परीक्षण करवा लूंगा। (3) निश्चित रूप से जिस स्थान की आपने चर्चा की आपके साथ चलकर मैं जॉच भी कर सकता हूँ।	कलेक्टर-भोपाल (भू-अर्जन) के पत्र दि. 22.9.12 के अनुसार प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है :- 1. भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2001/02 ग्राम कोहेफिजा खानूगांव, तहसील हुजूर भोपाल की भूमि खसरा नंबर 24 में अर्जित रकबा 1.52 एकड़ उप संचालक भोजवेट लैण्ड परियोजना भोपाल के द्वारा (पार्क विकास हेतु) अर्जन किया गया है। 2. प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में भू-अर्जन की धारा-4(1) की अधिसूचना क्रमांक 5/अ-82/2000-01 जारी दिनांक 17.4.03 जो म.प्र. राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्र. 1145 पर दि. 17.5.02 को प्रकाशित तथा धारा-6 की घोषणा क्रं. 5/अ-82/2001-02 को प्रकाशित तथा धारा-6 की घोषणा क्र.-5/अ-82/2001-02 जारी दि. 18.9.02 जो म.प्र. राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्र.-2315 पर दि. 11.10.02 को प्रकाशित हुई है। प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही उपरांत अवार्ड आदेश दि. 16.04.03 अवार्ड राशि रूपये 5,16,630/- (पांच लाख सोलह हजार छैः सौ तीस रूपये मात्र) पारित किया गया है। 3. भू अर्जन शाखा की जावक पंजी के सरल क्रमांक 51 दिनांक 23.6.04 को भू-अर्जन प्रकरण क्र. 5/अ-82/2001-02 कोहेफिजा खानूगांव (मूल प्रकरण) माननीय नवम् अपर जिला न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में रिफरेंश आवेदन के तहत भेजा गया है। प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में मौके पर रिक्त है तथा तार फैसिंग से घिरी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 9-26/2012/32, दिनांक 21.09.2012**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	58	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.637) दि. 26.02.2002	बैतूल जिले की मासौद विधान सभा क्षेत्र के आठनेर विकास खण्ड के पूर्ण प्रोजेक्ट में डूब में आने वाले आदिवासी किसानों को मुआवजे का भुगतान।	भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मुआवजा भुगतान कर दिया जायेगा।	दि. 09.09.05 एवं 01.05.06 में आठनेर विकास खण्ड में कृषकों के भूमि मुआवजों के अवार्ड पारित कर भुगतान किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 27-62/02/सा./31, दिनांक 17.03.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
22	59	अता.प्र.सं.05 (क्र.27) दि. 26.02.2002	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम से जल संसाधन विभाग में संविलियित 19 सहायक यंत्रियों को पात्रता के आधार पर स्थायीकरण के आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही।	गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	जल संसाधन के आदेश क्रमांक एफ 13/5/98/पी/ इक्तीस, दि. 17.03.03 द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17.12.99 से उद्वहन सिंचाई निगम के संविलियित सहायक यंत्रियों (सिविल) की वरिष्ठता को निरस्त करते हुए, उद्वहन सिंचाई निगम के संविलियन 19 सहायक यंत्रियों (सिविल) की वरिष्ठता दिनांक 01.04.92, दिनांक 31.10.2000 की स्थिति में सहायक यंत्री (सिविल) संवर्ग की प्रकाशित पदक्रम सूची में निर्धारित की गई थी। इस आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए. संविलियित सहायक यंत्रियों और विभाग में नियुक्त सहायक यंत्रियों के बीच वरिष्ठता निर्धारण के लिये विभाग द्वारा सहायक यंत्री (सिविल) संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में प्रमुख अभियन्ता की अध्यक्षता में विभाग के आदेश दिनांक 27.11.2003 से समिति का गठन किया गया। सहायक यंत्रियों की वरिष्ठता के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र. डब्ल्यू पी.4410/87 में आदेश पारित किये गये। इन आदेशों के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध श्री ओम प्रकाश मिश्रा, सहायक यंत्री द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई। मा. उच्चतम न्यायालय ने मा. उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त करते हुए मामला उच्च न्यायालय को सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया है। इस प्रकार सहायक यंत्रियों की वरिष्ठता संबंधित बिन्दु मा.	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । इस परिप्रेक्ष्य में सहायक यंत्रियों के स्थायीकरण की कार्यवाही अभी नहीं की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21/4/2002/पी-इक्तीस, दिनांक 22.07.2005** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** विभागीय आदेश दिनांक 17 मार्च 2003 द्वारा 19 सहायक यंत्रियों का संविलियन कर विभाग में वरिष्ठता निर्धारित की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **15-41/2015/मध्यम/31/608, दिनांक 07.09.2015**	
23	61-बी	ता.प्र.सं.01 (क्र.1037) दि. 14.03.2002	छतरपुर जिले में उर्मिल परियोजना-नौगांव हेतु कृषकों को उनकी अधिगृहित भूमि मुआवजा का भुगतान किया जाना ।	अगले 3 महीने के अंदर जिलाधीश कार्यालय के निर्देश होने के बाद भुगतान हो जाएगा। (2) हम 3 महीने में भुगतान कर देंगे।	जल संसाधन संभाग, नौगांव अंतर्गत उर्मिल नदी पर निर्मित गोरा फीडर परियोजना से प्रभावित 77 कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान हो चुका है। शेष 26 कृषकों के भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु विभाग द्वारा संपूर्ण राशि कलेक्टर, जिला छतरपुर के पी.डी. खाते में जमा की जा चुकी है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/147/2002/लघु/31/ 414, दिनांक 18.05.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
24	77	ता.प्र.सं.01 (क्र.5398) दि. 04.04.2002	भिण्ड जिले में धान एवं गेहूँ की फसलों की सिंचाई हेतु आवश्यक जल प्रदाय न करने के बावजूद भी जल दर की वसूली एवं विगत वर्ष जुलाई माह में गांधी सागर डेम से अनावश्यक रूप से पानी छोड़ने के प्रकरण की जांच ।	1. जांच करा लेंगे और अगर ऐसी परिस्थितियां बनी जैसी आपको अपेक्षा है तो वहां कार्यवाही करेंगे । 2. संभागीय स्तर के अधीक्षण यंत्री से इसकी जांच करा लेगें और जहां तक जिम्मेदारी तय करने की बात है तो जब कोई अधिकारी ने गलत कार्यवाही की है तो उसके खिलाफ जिम्मेदारी तय होगी और विभाग कार्यवाही करेगा ।	1. भिण्ड जिले के अंतर्गत धान एवं गेहूँ की फसलों में एक से अधिक बार-बार पलेवा सहित अधिकतम तीन पानी सिंचाई का जल दर एक समान वसूली की जाती है । वर्ष 2001-02 में जिला भिण्ड में खरीफ 'धान' में 12421 हे. तथा रबी 'गेहूँ' 23094 हे. में सिंचाई की गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **15-105/02/म/31, दिनांक 20.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
25	79	ता.प्र.सं.08 (क्र.3962) दि. 04.04.2002	जल संसाधन विभाग की गंगोत्री कालोनी रीवा से अनाधिकृत लोगों का कब्जा हटाने की कार्यवाही ।	1. इसकी सघन जांच कराकर उसके बाद हम उस पर कार्यवाही करेंगे । 2. इसकी जांच करानी पड़ेगी प्रारंभिक जांच के बाद कार्यवाही कर देंगे ।	अनाधिकृत कब्जा के 'एफ' टाईप क्वार्टर्स पूर्ण रूपेण कब्जा मुक्त करा लिये गये है । अब कोई आवास अवैध कब्जे में नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21/156/2002/लसि/ 31, दिनांक 29.01.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	85	अता.प्र.सं.55 (क्र.4875) दि. 04.04.2002	कार्यपालन यंत्री क्यौंटि नहर संभाग, बाणसागर परियोजना में वित्तीय वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में स्टेशनरी एवं फार्म सामग्री खरीदी में अनियमितताओं की जांच एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करना संभव होगा।	जांचोपरांत दोषी पाये गये पांच कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण कर प्रमुख अभियंता के आदेश क्रमांक 3361788/लो.से./01, दिनांक 24.01.2012 द्वारा निम्नानुसार दण्डित किया गया :- 1. श्री बान्धवेश मिश्रा, सहायक वर्ग-2 :- आर्थिक क्षति की राशि रूपये 5863/- की वसूली तथा अनियमितता के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। 2. श्री पी.एन.सोहगौरा, सहायक वर्ग-3 :- आर्थिक क्षति की राशि रूपये 10,67,470/- की वसूली तथा अनियमितता के लिए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। 3. श्री एस.के.भट्टाचार्य, सहायक वर्ग-3 :- आर्थिक क्षति की राशि रूपये 71,883/- की वसूली तथा अनियमितता के लिए दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। 4. श्री राजेश पाण्डे, सहायक वर्ग-3 :- आर्थिक क्षति की राशि रूपये 89,388/- की वसूली तथा अनियमितता के लिए दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। 5. श्री रामपाल शुक्ला, तत्कालीन मानचित्रकार :- श्री शुक्ला के सहायक यंत्री के पद से दिनांक 31.12.2010 को सेवानिवृत्त होने के कारण उन्हें म.प्र.सि.से. (पेंशन नियम-1976) के नियम-9 के अंतर्गत उन्हें आर्थिक क्षति की राशि रूपये 2,82,855/- की वसूली तथा अनियमितता के लिए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के समतुल्य राशि की वसूली के दण्ड से दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 27-62/02/सा./31, दिनांक 17.03.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
27	87	अता.प्र.सं.56 (क्र.6622) दि. 11.04.2002	सतना जिले के तहसील रघुराजनगर अंतर्गत पटिहर बांध निर्माण हेतु राशि स्वीकृति के पश्चात भी कार्य न किये जाने पर कार्यवाही।	प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।	परियोजना में डूब क्षेत्र में 115.78 हे. वन भूमि आने और लागत निर्धारित मापदण्ड से दो गुनी होने से परियोजना असाध्य पाई गई है। अत: परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21/161/लघु/2002/31/633, दिनांक 24.07.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	251	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 18.03.2002	मुरैना शाखा नहर के फूटने तथा भिण्ड जिले की अटेर तहसील में ए.बी.सी. केनाल से दिनांक 22.01.02 अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जाना।	कृषि विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी मिलकर इसकी जांच करेंगे, परीक्षण करें और उसमें जो भी मुआवजे के बारे में सरकार का प्रतिवेदन आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।	कृषि सिंचाई एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मिलकर संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार की फसल की हानि होना नहीं पाया गया। अतः मुआवजा भुगतान किए जाने की स्थिति नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक - 21(A)/08/आश्वा./2002/MPS/31/627, दि.15.03.2016**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
29	94	अता.प्र.सं.01 (क्र.118) दि. 06.03.2002	ग्राम पडरिया खुर्द तहसील सिलवानी जिला रायसेन में मुख्य सड़क पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही।	शेष अतिक्रामकों के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बम्होरी में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।	ग्राम पडरिया खुर्द तहसील सिलवानी के खसरा नंबर 120 पर से दिनांक 09.10.2002 का बेजा कब्जा हटा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-20/11/2002/सात/ शा-2ए, दिनांक 26.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
30	95	अता.प्र.सं.41 (क्र.1791) दि. 06.03.2002	कटनी जिला के ढीमरखेडा विकासखण्ड के ग्राम कछारगांव बडा के खसरा नं. 740 भूमि पर काबिज नोनेलाल वल्द कौरई कुम्हार द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाये जाने की कार्यवाही।	अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के प्रावधानों के अंतर्गत तहसीलदार ढीमरखेडा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।	अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार ढीमरखेडा के रा.प्र.क्र.-444/अ-68/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2002 के द्वारा अतिक्रामक के विरूद्ध रूपये 700/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया है, साथ ही मौके से अतिक्रमित रकबा 100 X 100 कडी पर बाडी एवं आंगन के अतिक्रमण को हटा दिया गया था। 40 X 30 कडी में अतिक्रामक के द्वारा मकान बनाकर कब्जा किया गया था जिसे दिनांक 15.11.2011 को तहसीलदार ढीमरखेडा के द्वारा हटा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 20-10/2011/सात(शा-2) A, दिनांक 03.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
31	96	अशासकीय संकल्प दि. 08.03.2002	शहडोल अंतर्गत हास्पिटल के पास बनाये गये तालाब की उपयोगिता की जांच।	शहडोल के मामले में दिक्कत है। मैं इनके मामले में निश्चित रूप से देख लूंगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
32	97	मुख्यमंत्री प्रहर दि.15.03.2002	करैरा अभ्यारण्य के कारण भूमि के क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही।	मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां की जनता की दिक्कतों और परेशानियों को पूरा ख्याल रखते हुए हम केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे।	करैरा अभ्यारण्य शिवपुरी में सोनचिड़िया न होने से अभ्यारण्य में स्थित 33 ग्रामों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: अभ्यारण्य को डि-नोटिफाई करने हेतु राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा अनुशंसा दिनांक 09.06.2008 की बैठक में की गई। तदोपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 23.07.2008 को भेजा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक - एफ-22/269/2002/10-2, दिनांक 26.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
33	99	ता.प्र.सं.19 (क्र.790) दि. 14.03.2002	सीधी जिले की बैढन तहसील के 3 पट्टेदारों जिनके मकान वन विभाग के अंतर्गत आ गये हैं को न हटाया जाना।	जो 3 पट्टेदारों के मकान बन गये हैं। उनको नहीं हटाया जावेगा।	संबंधित 3 पट्टेदारों के मकान नहीं हटाये गये हैं। आश्वासन की पूर्ति हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-20/32/2002/सात-2ए, दिनांक 11.05.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	100	ता.प्र.सं.06 (क्र.1422) दि. 14.03.2002	शिवपुरी जिले की करैरा तहसील के 35 ग्रामों को दतिया जिले में शामिल किये जाने की कार्यवाही।	सहकारी भूमि विकास बैंक, सह.विपणन संस्था एवं अन्य सहकारी संस्था के शेयर एवं सदस्यों के ऋणों के संबंध में पंजीयक सहकारिता म.प्र. शासन के निर्देश प्राप्त होने पर दतिया जिले में समाहित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।	1. जिला सहकारी विकास बैंक शिवपुरी :- जिला शिवपुरी के जिन 35 ग्रामों का जिला दतिया में विलय किया गया है, उन ग्रामों से संबंधित समस्त कृषकों (जो बैंक के सदस्थ थे) उनके समस्त खातों का समायोजन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शिवपुरी द्वारा राज्य विकास बैंक शाखा ग्वालियर के माध्यम से जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया को माह मार्च, 2003 में कर दिया गया है 2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की करैरा तहसील के बैंक की पूर्व शाखा दिनारा के 35 ग्राम जो दतिया जिले में शामिल किये गये हैं, उनके संबंध में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ग्वालियर की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 27.10.07 में हुए निर्णय अनुसार संपूर्ण लेखा जोखा हेड स्टाफ एवं संस्था के कर्मचारी तथा संस्था के सदस्यों के शेयर सहित सदस्य स्तर पर ऋण शिवपुरी से दतिया बैंक को हस्तांतरित किया जा चुका है। 3. करैरा तहसील के 35 ग्रामों को जिनको दतिया तहसील में शामिल किया गया है, के कुल 274 सदस्यों में से विपणन सहकारी संस्था द्वारा 63 सदस्यों की अंशपूंजी प्रति 25/ से 1575 एवं 211 सदस्यों की अंशपूंजी प्रति 100 से 21100 कुल 22675 बाईस हजार छः सौ पिचत्तर रूपये की राशि गोविन्द विपणन सहकारी समिति जिला दतिया में जमा कराई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ/267/159/09/सात/ शा-6, दिनांक 05.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
35	103	विभागीय मांग पर चर्चा दि. 15.03.2002	1. सीलिंग एक्ट के अंतर्गत भूमिहीनों को भूमि का बंटन। 2. मुरैना में शासकीय भूमि पर कब्जे की जांच तथा कार्यवाही। 3. सतना जिले में बायपास बनाने की कार्यवाही। 4. सतना अंतर्गत कन्या महाविद्यालय बनाया जाना।	1. शेष बांटने के लिये 18 हजार 701 हेक्टेयर जमीन बची है इसका भी जल्दी से जल्दी बंटन कर दिया जायेगा। 2. मैं निश्चितरूप से इसके बारे में जांच करा लूंगा और यथासंभव कार्यवाही होगी उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा। 3. बायपास की जमीन भारत सरकार की होगी तो उनको यह रोड हैण्ड ओवर कर दिया जायेगा। 4. करीब 58-60 लाख रूपये उनसे लेकर नया महाविद्यालय सतना नगर से 2-3 कि.मी. दूर जो है, उस पर खर्च करेंगे, भवन बनाने लड़कियों के लिये ठीक से व्यवस्था करने के लिये।	कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा उल्लेख किया है कि मुरैना जिले में सीलिंग भूमि बंटन हेतु शेष नहीं है. मुरैना जिले में शासकीय भूमि पर कब्जे के संबंध में प्रतिवर्ष म.प्र. राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2002 का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत बायपास (रा.रा.क्र.75) अर्जित की गई भूमियों को नामान्तरण भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय के नाम कराया जा चुका है। कन्या महाविद्यालय शहर में संचालित हो चुका है तथा लड़कियों के लिये ठीक से व्यवस्था की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2015/306,दिनांक 19.01.2016**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	113	ता.प्र.सं.05 (क्र.4389) दि. 04.04.2002	श्योपुर जिले में मुझरी बांध परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही ।	1. राजस्व विभाग चूंकि पूरे प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है परीक्षण के पश्चात इसमें जो आवश्यक होगा कार्यवाही की जायेगी । 2. विभाग इसका परीक्षण कर रहा है और यदि कोई औपचारिकता रह गई है तो उनकी पूर्ति कराकर जैसी मांग की गई है आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
37	116	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.5086) दि. 04.04.2002	1. रायसेन जिले में चंदन पिपलिया जैथरी प्रतापगढ़ मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से धानेर पिपलिया जुआरिया सड़क निर्माण में किसानों को अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि दिए जाने की अवधि । 2. स्कूलों पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही ।	1. बजट आवंटन होने पर ही आवंटित भूमि का मुआवजा किसानों को वितरित किया जा सकेगा । 2. अतिक्रमण शीघ्र हटाये जायेंगे ।	चंदन पिपरिया, जैथारी प्रतापगढ मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 22.02.2008 को अवार्ड राशि रूपये 51,58,265/- का अवार्ड पारित किया गया था । जिसमें दिनांक 30.03.2006 को लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रूपये 21,42,000/- तथा दिनांक 24.06.2011 को राशि रूपये 37,51,625/- प्रदाय की जा चुकी है । इस प्रकार चंदन पिपरिया, जैथारी प्रतापगढ मार्ग निर्माण हेतु विभाग संपूर्ण मुआवजा राशि 51,58,265/- प्रदाय की जा चुकी है । अवार्ड में कुल 175 कृषकों को मुआवजा वितरण किया जाना था । जिसमें से 157 कृषकों को कुल राशि रूपये 44,72,438/- वितरित किये जा चुके है, तथा शेष 18 कृषकों की राशि रूपये 2,16,894/- वितरण हेतु शेष है । शेष 18 कृषकों को मुआवजा राशि फौती/आपत्ति एवं अनुपस्थिति के कारण नहीं वितरित की जा सकी है । फौती की जानकारी एवं आपत्ति के निराकरण होते ही मुआवजा राशि का वितरण किया जावेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **20/162/2009/सात-2ए, दिनांक 14.08.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
38	122	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.5887) दि. 11.04.2002	जिला सतना मुकाम पोस्ट वीरमरा रामपुर बघेलान के खसरा नं. 10 एवं 13 पर अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंधी से कार्यवाही ।	प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने के उपरांत तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।	न्यायालयीन प्रकरण है । न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 201/125/2002/ सात/शा-2ए, दिनांक 17.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
39	126	ता.प्र.सं.02 (क्र.7104) दि. 14.04.2002	जिला सतना के रामपुर बघेलान में आराजी न. 826 की 850 फुट भूमि पर से श्री राजेश सिंह का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ।	न्यायालयीन प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण होने पर ।	न्यायालयीन प्रकरण में कार्यवाही परिषद निर्णय अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जाकर दिनांक 05.06.2007 को श्री राजेश सिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर बाउण्ड्रीवाल को निर्माण कराया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-20-151/2009/सात/ 2ए, दिनांक 26.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	129	अता.प्र.सं.53 (क्र.7400) दि. 18.04.2002	ग्राम मेसरा पटवारी हल्का नं. 6 राजस्व निरीक्षक मंडल 1. बम्होरी तहसील, सिलवानी जिला रायसेन के ग्यारह कृषकों की मार्ग निर्माण के लिए अर्जित की गई भूमियों के मुआवजें की जिला रायसेन द्वारा दर निर्धारण की कार्यवाही एवं भुगतान।	भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर प्रकरण में अवार्ड पारित किया जाएगा उसके उपरांत ही कृषकों को मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा।	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रायसेन के प्रस्तावानुसार भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-2/अ-82/01-02 के द्वारा देहगांव-बम्होरी मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मेसरा के ग्यारह कृषकों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। जिसका दिनांक 07.11.2003 को अवार्ड पारित किया जाकर एवं मुआवजा निर्धारण किया जाकर समस्त ग्यारह कृषकों को अर्जित भूमि का मुआवजा वितरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/20/129/2009/ सात(शा-2)A, दि 03.08.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
41	550	मुख्यमंत्री प्रहर दि. 08.04.2002	उमरिया जिले के बैगा जनजाति के लोगों का पुर्नवास किया जाना।	मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी को निर्देश दूंगा कि वे उमरिया के उस मोहल्ले में जिसमें बेगा जाति के लोग रहते है उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करें।	विस्थापित बैगा परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-20-155/2009/सात/ 2ए, दिनांक 26.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
42	600	अता.प्र.सं.05 (क्र.4551) दि. 16.04.2002	जबलपुर शहर में रानीताल स्टेडियम के बाहर व खेल परिसर से दुकानों व झुग्गी-झोपड़ी हटाने हेतु कार्यवाही की जाना।	अन्यंत्र भूमि उपलब्ध होने पर इन्हें हटाना संभव होगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
43	605	ता.प्र.सं.01 (क्र.2884) दि. 11.04.2002	सतना शहर में हवाई पट्टी के लिए अधिग्रहित केन्द्र शासन की भूमि पर कथित रूप से तहसीलदार द्वारा की गई रजिस्ट्रियों की जांच।	मान. अध्यक्ष के निर्देश :- उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु राज्य शासन, राजस्व विभाग द्वारा विधि विभाग से राय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाना।	जिला पंजीयक, उप पंजीयक सतना, एवं तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना द्वारा की गई जांच में हवाई पट्टी हेतु अधिग्रहित केन्द्र शासन की भूमि, अनियमित तरीके से निजी लोगों के नाम से रजिस्ट्री कराई जाना सही नहीं पाया गया है। उक्त भूमियां भू-स्वामियों की ऋण पुस्तिका के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई है। मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता की धारा-264 के अनुसार केन्द्र की भूमि पर राज्य शासन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता है। अत: आवश्यकता से आधिक्य की भूमि केन्द्र शासन (नभ विभाग) से राज्य शासन को वापिस मिलने पर ही राज्य शासन के प्रावधानों के तहत अतिक्रामकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-20/153/2009/सात-2ए, दिनांक 30.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	135	परि.अता.प्र.सं.63 (क्र.3959) दि. 22.03.2002	कृषि उपज मण्डी समिति लौड़ी के अध्यक्ष द्वारा समिति के सचिव श्री आर.पी.सिंह व चौकीदार भगवानदीन की हाट बाजार बारीगढ़ में व्यापारियों से की जा रही अवैध वसूली की थाना प्रभारी जुझार छतरपुर से की गई शिकायत पर कार्यवाही।	प्राप्त होने पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में आवेदक श्री आर.डी. प्रजापति, अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, लौड़ी (लवकुश नगर) द्वारा अनावेदक कृषि उपज मण्डी के सचिव, आर.पी. सिंह व चौकीदार भगवानदीन के द्वारा बारीगढ़ में व्यापारियों से की गई अवैध वसूली के विरूद्ध दिनांक 19.05.01 को एक आवेदन थाना जुझार नगर में प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन की जांच ओ.पी.शर्मा, सहायक उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.06.2002 तक पूर्ण न करने एवं धोखा-धड़ी, संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने पर तथा प्रधान आरक्षक बाबूराम 631 द्वारा जब्त दस्तावेज व रसीद कट्टा को विधिवत थाना जुझार नगर के रजिस्टर में इन्द्राज नहीं करने पर दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच में सहायक उप निरीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। प्रधान आरक्षक बाबूराम क्रमांक 631 के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने से पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7395/2012/बी-1/दो, दिनांक 22.05.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
45	136	अता.प्र.सं.11 (क्र.1833) दि. 22.03.2002	बागसेवनिया जिला भोपाल में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पूर्व सहायक कुल सचिव के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपी का चालान न्यायालय में पेश किया जाना।	विवेचना पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।	थाना बागसेवनियां में दिनांक 07.01.2002 को प्रोफेसर ईश्वर सिंह चौहान, कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पर सहायक कुल सचिव, विक्टर इक्का के विरूद्ध अप.क्र. 16/02 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। प्रकरण में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रशासन से दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया किंतु उनके द्वारा कोई दस्तावेज रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। दस्तावेज साक्ष्य निकट भविष्य में प्राप्त न होने की उम्मीद में प्रकरण में खात्मा कक्र. 22/05 दि. 18.05.05 को कर्ता किया गया। प्रकरण के सदर आरोपी विक्टर इक्का की मृत्यु दिनांक 02.03.2011 को हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5072/3940/2011/बी-1/दो, दिनांक 08.10.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	143	परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.2468) दि. 15.03.2002	जिला बालाघाट लांजी अंतर्गत ललिता पिता हनवत हराड़े के हत्यारों की गिरफ्तारी।	विवेचना में आने वाली साक्ष्य के आधार ही विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।	दिनांक 10.12.2000 को ललिता के पिता हनवत हराडे निवासी चिचटोला की रिपोर्ट पर से निरी. एम.पी. वर्मा थाना प्रभारी लांजी द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 209/2000 धारा 302, 201 भादवि कायम किया था। जो अज्ञात आरोपी के पता नहीं चलने से प्रकरण में दिनांक 20.04.2006 को खात्मा क्र. 6/06 कता किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4461/3982/2002/बी-1/दो, दिनांक 23.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
47	155	अता.प्र.सं.34 (क्र.1455) दि. 07.03.2002	अमरपाटन एवं सतना कृषि उपज मंडी में फर्जी अनुज्ञा पत्रों के माध्यम से मंडी शुल्क चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	शेष के विरूद्ध विवेचना जारी है। समुचित साक्ष्य प्राप्त होने की अवस्था में उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।	थाना अमर पाटन के अपराध क्रमांक 270/2001 धारा 420, 467, 468, 474, 407, 120-बी, 34 के ता.हि. की कायमी दिनांक 01.08.2001 को आरोपी मनोज कुमार जैन तथा अन्य बीस के विरूद्ध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। दिनांक 07.11.2001 को आरोपी मनोज कुमार जैन के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 271/01 तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। शेष 20 के विरूद्ध धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान शेष 20 आरोपियों के द्वारा मनोज कुमार जैन के षडयंत्र में संलिप्त होना नहीं पाया गया। अनुसंधान में ऐसा कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुई जिससे मनोज जैन के साथ कूटरचित अनुज्ञा पत्रों में शेष 20 व्यापारियों की सहभागिता थी। अत: शेष व्यापारियों के अपराध प्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में जिला अभियोजन अधिकारी से राय प्राप्त कर सभी के नाम अपराध सदर से पृथक किया गया एवं धारा 173(8) जा.फौ. के तहत की जा रही अनुसंधान कार्यवाही बंद की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2588/6000/2011/बी-1/दो, दिनांक 06.06.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
48	159	अशासकीय संकल्प दि. 08.03.2002	अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण।	लंबित प्रकरणों का 3 साल में निराकरण कर दिया जावेगा।	रिक्त पदों की उपलब्धता तथा सामान्य प्रशासन विभाग के लिये जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का यथासंभव निराकरण किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3207/7013/2004/बी-4/दो, दिनांक 13.07.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	162	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 04.04.2002	भिण्ड जिले के रौन थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा 02 युवकों की हत्या के प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही।	जांच रिपोर्ट आ जायेगी तो जो दोषी पाये जायेंगे उन पर सख्त कार्यवाही की जावेगी ।	दिनांक 13.01.2002 को ग्राम बौहरा थाना-रौन, जिला भिण्ड में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गये कोमल सिंह व नीरज सिंह से संबंधित जांच के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :- शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार सिंह, मंगल मनस्वी पत्रिका के प्रधान संपादक, निवासी-ग्वालियर द्वारा मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर में अगस्त 2005 में एक जनहित याचिका क्र.-3129/2005 दायर की गई थी जिसमें अपराध क्र.-4/2002 के संबंध में मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट के आधार पर मुठभेड़ के प्रकरण को फर्जी बताकर चुनौती दी गई थी । मान. उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में दि. 16.05.2007 को निर्णय पारित कर याचिका को अनावश्यक मुकद्में बाजी बताते हुए याचिकाकर्ता पर रू. 50,000/- का अर्थदण्ड दिया, साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा प्रकशित पत्रिका का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने एवं उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए । शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार सिंह द्वारा उक्त याचिका क्र.-3129/2005 में मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर के निर्णय दि. 16.05.2007 के विरूद्ध मान. सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) क्र. -10782-10783/08, वर्ष 2010 में तब्दील होकर (SLP) क्र. -20769-20770/2010 एवं वर्ष 2011 में तब्दील होकर (SLP) क्र.-3640-3641/2011 दायर की गई । उक्त विशेष अनुमति याचिका (SLP) मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचारण में लंबित है । मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा जनहित याचिका क्र.-3129/2005 में दि. 16.05.2007 को दिये गये निर्देश के पालन में थाना-रौन के अपराध क्र.-4/2002 में दि. 13.01.2002 को कथित पुलिस एवं डाकुओं के बीच हुई मुठभेड़ की कथित घटना के संबंध में प्रकरण में जांच अधिकारी श्री डी.के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड द्वारा जांच प्रतिवेदन दि. 17.01.2008 को प्रस्तुत किया गया । जांच अधिकारी श्री डी.के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड द्वारा प्रस्तुत न्यायिक जांच रिपोर्ट दि. 17.01.2008 को चुनौती देते हुये श्री जी.आर. मीणा, भापुसे तत्का. पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका क्र.-1513/2009 दायर की गई जिसमें मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा दि.-22.07.2009 को श्री मीणा एवं अन्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में स्थगन दिया गया है । उक्त याचिका अभी मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष विचारण में लंबित है । इसके अलावा श्री जी.आर. मीणा, भापुसे द्वारा मान. उच्च	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिव्यू याचिका क्र.-74/2009 दायर की गई थी जो अभी मान. उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण में लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 188/3930/2011/बी-1/दो, दिनांक 12.01.2012**	
50	163	परि.अता.प्र.सं.06 (क्र.1831) दि. 05.04.2002	विक्टर एक्का के विरूद्ध थाना बागसेवनिया जिला भोपाल में पंजीबद्ध प्रकरण में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही।	विवेचना जारी है जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना में आने वाले साक्ष्य के आधार पर विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।	थाना बागसेवनियां में दिनांक 07.01.2002 को प्रोफेसर ईश्वर सिंह चौहान, कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पर सहायक कुल सचिव, विक्टर इक्का के विरूद्ध अप.क्र. 16/02 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। प्रकरण में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रशासन से दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया किंतु उनके द्वारा कोई दस्तावेज रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। दस्तावेज साक्ष्य निकट भविष्य में प्राप्त न होने की उम्मीद में प्रकरण में खात्मा क्र. 22/05 दि. 18.05.05 को कता किया गया। प्रकरण के सदर आरोपी विक्टर एक्का की मृत्यु दि.02.03.2011 को हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5085/3921/2011/बी-1/दो, दिनांक 08.10.12**	कोई टिप्पणी नहीं.
51	166	परि.अता.प्र.सं.23 (क्र.3773) दि. 05.04.2002	ग्वालियर चंबल संभाग में डकैतों के गिरोहों को समाप्त करने हेतु आईजी ग्वालियर द्वारा ईनाम राशि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाना।	दिनांक 07.01.2002 में प्रस्ताव परीक्षण में है और युक्तियुक्त निर्णय परीक्षण उपरांत लिया जावेगा।	ग्वालियर-चंबल संभाग में डकैती के गिरोहों को समाप्त करने हेतु पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा ईनाम की राशि रूपये 05-05 लाख बढ़ाई गई। उक्त सदस्यों दयाराम गडरिया, दिनांक 05.08.2006 को रामबाबू गडरिया, दिनांक 16.06.07 तथा हजरत रावत दिनांक 01.03.05 को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में धराशायी किया जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4403/3919/2011/बी-1/दो, दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
52	179	परि.अता.प्र.सं.72 (क्र.6232) दि. 12.04.2002	गुना जिले के ग्राम धुवनी में धारा 307 के मुल्जिमों की गिरफ्तारी की जाना।	यथाशीघ्र	थाना चंदेरी के अप.क्र. 69/2000, धारा 307, 147, 148, 149 भादवि में आरोपी भूपेन्द्र सिंह, जगदल सिंह, जगदीश एवं अमर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था एवं फरार आरोपी बॉबी पुत्र कमल सिंह बुंदेला निवासी थुबोन के विरूद्ध धारा 299, द.प्र.स. के अंतर्गत चालान क्र. 360/02 न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.05 को आरोपी भूपेन्द्र सिंह, जगदल सिंह, जगदीश एवं अमर सिंह को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में फरार आरोपी बॉबी के द्वारा दिनांक 08.03.06 को अपर सत्र न्यायालय मुंगावली में आत्म समर्पण किया गया एवं उसे न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4391/3923/2011/बी-1/दो, दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	186	अता.प्र.सं.76 (क्र.6390) दि. 12.04.2002	बालाघाट जिले के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुमारी खुर्द से फर्जी हस्ताक्षर कर लेनदेन की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही।	जांच अभी जारी है । जांच के दौरान आये गुण-दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी ।	आवेदक श्री एन.पी. श्रीवास्तव पुत्र नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी अमेडा द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुमारी खुर्द से फर्जी हस्ताक्षर कर खाद निकालने के संबंध में शिकायत पत्र दिया था जिस पर थाना लांजी में अप.क्र. 321/04 धारा 420, 465 भादवि का प्रकरण आरोपी रमेन्द्र श्रीवास्तव, निवासी अमेडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना कर दिनांक 23.07.05 को गिरफ्तार कर चालान क्र. 137/05 दिनांक 01.08.05 तैयार कर न्यायालय में पेश किया जिसका प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4365/3922/2011/बी-1/दो, दिनांक 02.07.2011**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
54	190	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 422, 425 दि. 12.04.2002	शिवपुरी जिले के ग्राम खजुरी में कुशवाह परिवार के लोगों को जिन्दा जलाये जाने पर शासन से आर्थिक सहायता दी जाना ।	शासन स्तर पर जो भी नियमानुसार होगा हम सहायता करेंगे । 2. उसका जो मकान जल गया है उसकी हम व्यवस्था करें । 3. नियमानुसार जो भी सहायता होगी हम देंगे ।	जिला शिवपुरी थाना सिरसोद के अप.क्र. 41/02 धारा 436, 302 भादवि के आरोपी सोम सिंह पुत्र ईश्वर लाल कुशवाह निवासी खजूरी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 61/02 दिनांक 20.03.02 है । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । फरियादी पूरण कुशवाह निवासी खजूरी के मकान (टपरिया) जलने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा फरियादी को कोई व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत न होने से प्रदाय नहीं की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4397/3920/2011/बी-1/दो, दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	194	ता.प्र.सं.23 (क्र.7122) दि. 19.04.2002	कृषि उपज मंडी लौडी के सचिव द्वारा हाट बाजार बारीगढ़ में अवैध वसूली की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	कृषि उपज मंडी अध्यक्ष और श्री आर.डी. प्रजापति द्वारा चौकीदार भवानीदीन अहिरवार द्वारा अवैध वसूली के संबंध में आवेदन पत्र एवं जप्त रसीद बुक क्रमांक 242 की थाना जुझार नगर को दी गई थी। इन दस्तावेजों को संबंधित कर्मचारी द्वारा जप्त नहीं करने एवं मालखाना रजिस्टर में दर्ज नहीं करने से उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए। इस लापरवाही के लिये संबंधित जांचकर्ता स.उ.नि. ओमप्रकाश एवं प्रधान आरक्षक/लेखक क्रमांक 639 बाबूराम के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की गई। जांच में प्रधार आरक्षक/लेखक बाबूराम को दोषी पाये जाने पर उसे सेवा से पृथक किया गया। स.उ.नि. ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने पर दोषमुक्त किया गया है। आवेदक कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष श्री आर.डी. प्रजापति एवं मण्डी समिति लौंडी के द्वारा प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेज साक्ष्य, मूल अभिलेख, केशबुक, लेजर, रसीद कट्टा, इशु रजिस्टर आदि रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कोई कार्यवाही करना संभव नहीं हुआ। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3325/4925/2011/बी-1/दो, दिनांक 27.06.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56	157	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.1859) दि. 06.03.2002	नर्मदा घाटी विकास योजना को पूर्ण किये जाने की अवधि।	यह प्रस्तावित है कि इन योजनाओं को 31.03.2003 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।	प्रश्नाधीन वर्णित नाबार्ड, आर.आई.डी.एफ. ऋण प्राप्त योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 340/3917/2007/27-1, दिनांक 06.02.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57	204	ता.प्र.सं.12 (क्र.1664) दि. 07.03.2002	दमोह जिले में रोजगार आश्वासन योजनान्तर्गत राशि स्वीकृति के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक श्री मलैया द्वारा 11 वे वित्त आयोग को लिखे गये एवं 34 पत्रों पर कार्यवाही कर कार्यादेश जारी किया जाना।	जो भी पत्र लिखे है उनके ब्लॉक के हिसाब से 11 वे वित्त आयोग की जितनी राशि मिल सकती है उस पर कार्यवाही होगी।	रोजगार आश्वासन योजना बंद हो चुकी है तथा 11वें वित्त आयोग की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अत: इन योजना व मद अंतर्गत राशि ब्लॉक को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **8398/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2014,** **दिनांक 22.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
58	210	ता.प्र.सं.24 (क्र.4333) दि. 22.03.2002	सतना जिले को मैहर तहसील के ग्राम पंचायत धुनवारा के सरपंच के विरूद्ध पैसे के दुरूपयोग को जांच एवं कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही संभव है।	आश्वासन ग्राम पंचायत धुनवारा जिला सतना से संबंधित है। विहित अधिकारी द्वारा सरपंच के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में रूपये 97,156 (रूपये सत्तानवे हजार एक सौ छप्पन केवल) के वसूली के आदेश पारित किये गये हैं। पारित आदेश के विरूद्ध यथावत पूर्व सरपंच श्रीमती पूजा सोनी द्वारा कमिश्नर रीवा के न्यायालय में अपील की गई है। उक्त आश्वासन के संबंध में वसूली के आदेश पारित किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 15-211/2002/22/2, दिनांक 22.07.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
59	214	ता.प्र.सं.20 (क्र.2610) दि. 22.03.2002	बैतूल जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	शेष 25 स्वीकृत सड़कों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है एवं औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य प्रारंभ होगें।	शेष 25 स्वीकृत सड़कों हेतु निविदाएं आमंत्रित की कार्यवाही पूर्ण कर सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9350/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी6/वि.स./आश्वा/214/ 3-02,** **दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	221	परि.अता.प्र.सं.128 (क्र.6082) दि. 05.04.2002	जबलपुर जिले के पाटन विकासखण्ड में गरिहा पहुँचमार्ग तथा सहसन दिघारा मार्ग के निर्माण में शासकीय धन के अपव्यय की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।	1. जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जांच की कार्यवाही आयुक्त रीवा के आदेश दि. 24.01.05 द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ की गई । 2. आयुक्त जबलपुर संभाग के आदेश क्र. 1021, 1023, 1025/चार-6/06 दि. 11.05.06 के द्वारा कार्यवाही पूर्ण की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच समाप्त की गई :- (अ) तत्का. उपयंत्री श्री आर.के. मिश्रा, ग्रा.या.से. उपसंभाग पाटन जिला जबलपुर (ब) तत्का. उपयंत्री श्री आर.के. सक्सेना, ग्रा.या.से. उपसंभाग पाटन जिला जबलपुर (स) तत्का. अ.वि.अ. श्री ए.के. पाण्डेय, ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग पाटन जिला जबलपुर । **विभागीय पत्र क्रमांक – 5638/22/वि-10/आश्वा, दिनांक 02.07.2011** **अद्यतन जानकारी** – आयुक्त जबलपुर संभाग के आदेश क्र. 1021, 1023, 1025/चार-6/06 दि. 11.05.06 के द्वारा जांच की कार्यवाही पूर्ण की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय आरोप प्रमाणित न होने से जांच समाप्त की गई :- (अ) श्री आर.के. मिश्रा, तत्का. उपयंत्री ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग पाटन जिला जबलपुर (ब) श्री आर.के.सक्सेना, तत्का. उपयंत्री ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग पाटन जबलपुर (स) श्री ए.के. पाण्डेय, तत्का. अ.वि.अ. ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग पाटन जिला जबलपुर **विभागीय पत्र क्रमांक - 66/22/वि-10/ग्रायांसे/2016, दिनांक 06.01.2016**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61	222	अता.प्र.सं.92 (क्र.9620) दि. 05.04.2002	पन्ना जिले के विकासखण्ड शाहनगर के वाटरशेड परियोजना अधिकारी श्री पी.एल. तिवारी सहायक यंत्री द्वारा वाटरशेड में की गई गंभीर अनियमितताओं की जांच एवं पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कार्यवाही।	जांच जारी है जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	पन्ना जिले के मिलीवाटरशेड 2सी1सी2सी एवं 2सी1सी2एफ विकासखण्ड शाहनगर के परियोजना अधिकारी श्री पी.एन.तिवारी सहायक यंत्री द्वारा मिशन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विरूद्ध योजना का क्रियान्वयन एवं मनमानी कार्यवाही एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन जिला पन्ना द्वारा दिनांक 17.06.02 को आयुक्त सागर संभाग को प्रेषित किया गया था। कमिश्नर सागर संभाग सागर के पृ.क्र. 503/तीन/स.आ. दिनांक 17.04.03 द्वारा श्री पी.एन.तिवारी तत्कालीन सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग पन्ना हाल डी.आर.डी.ए. सागर को आरोप पत्र जारी किये गये थे। कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेश पत्र क्र. 1100/तीन/ स.अ./03 सागर दिनांक 25.08.03 के द्वारा प्रकरण में कोई गंभीर अनियमितता किया जाना सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण प्रचलित कार्यवाही समाप्त की गई, जिससे संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **10372/22/वि-9/आर.जी.एम/2011, दि. 27.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
62	228	परि.ता.प्र.सं.46 (क्र.7191) दि. 19.04.2002	ग्राम पंचायत महाराजपुर के सरपंच के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना।	मूल्यांकन रिपोर्ट पत्र प्राप्त होने पर प्रकरणों में अगली कार्यवाही संभव है।	विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर के न्यायालय में गतिशील प्रकरण क्रमांक 11/अ-89/9/01-02 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत महाराजपुर जनपद पंचायत पनागर के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.11.04 के द्वारा सरपंच पद से पृथक कर रूपये 74,383.75 जमा करने का आदेश जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-15/216/02/22/पी/2, दिनांक 10.02.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	237	परि.अता.प्र.सं.06 (क्र.209) दि. 01.03.2002	श्री कुंजीलाल कोष्टा, उप संचालक कृषि जबलपुर द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी प्रकरण में संबंधित थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाना।	संदर्भित पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा तदोपरांत समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	मामले पर कलेक्टर, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाकर जाति प्रमाण पत्र अमान्य करने की अनुशंसा की गई है। तद्नुसार श्री कोष्टा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दिनांक 08.04.02 को आरोप पत्रादि जारी किये गये। विभागीय जांच की इस कार्यवाही के चलते ही श्री कोष्टा ने मा.प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका क्र. 4735/02 दायर की जिस पर मा. न्यायालय ने दिनांक 04.12.02 को विभागीय जांच की कार्यवाही पर स्थगन आदेश जारी किया है। प्रकरण वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10-76, दिनांक 21.09.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.
64	238	अता.प्र.सं.42 (क्र.1380) दि. 01.03.2002	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के स्टेडियम के बाजू के नाले और बगीचे तथा पूरे परिसर में वृक्षों की कटाई की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	वन विभाग के अनुसार काटे गये वृक्षों की प्रजातियों की कटाई प्रतिबंधित नहीं होने से विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित भवनों, विद्युत व्यवस्था एवं यातायात में बाधक वृक्षों का तत्कालीन अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर के निर्देशानुसार जो कि रोग एवं कीटग्रस्त थे उन वृक्षों का विरलीकरण किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **बी-10/14/2008/14-2, दिनांक 14.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
65	243	ता.प्र.सं.04 (क्र.2993) दि. 18.03.2002	उप संचालक कृषि, शहडोल द्वारा बिना जिला पंचायत कृषि समिति से अनुमोदन के व्यय की गई राशि की जांच एवं कार्यवाही।	मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा और सख्त कार्यवाही करूंगा।	विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 2993 में उप संचालक कृषि शहडोल द्वारा वर्ष 2000-2001 में (अगस्त 2000 से मार्च 2001 तक) राशि रूपये 14.06 लाख एवं वर्ष 2001-2002 में (अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2001 तक) राशि रूपये 8.66 लाख कुल व्यय राशि रूपये 22.72 लाख का व्यय उप संचालक कृषि शहडोल द्वारा बिना जिला पंचायत कृषि समिति के अनुमोदन के व्यय किया गया था। बिना अनुमोदन के व्यय हेतु आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना जबलपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में व्यय किये गये पंचायत मद की राशि का स्थाई कृषि समिति की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। अत: किया गया व्यय नियमित हो गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **बी-10-54/2002/14-2, दिनांक 05.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66	246	अता.प्र.सं.28 (क्र.2722) दि. 18.03.2002	कृषि उपज मण्डी कटनी के अंतर्गत राईस मिलों द्वारा दी गई चावल लेव्ही के चावल निर्माण मात्रा हेतु अपेक्षित धान और मण्डी में राईस मिलों द्वारा दर्शाई गई धान खरीद के बीच मात्रात्मक अंतर का कर अपवंचन की स्थिति में दोषियों के विरूद्ध परीक्षण एवं कार्यवाही ।	परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षण उपरांत ही मण्डी शुल्क अपवचन की राशि ज्ञात होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।	परीक्षण उपरांत 14 व्यापारियों को दोषी पाया गया । इन 14 दोषी व्यापारियों में से 13 व्यापारियों के विरूद्ध कर अपवंचन की राशि पांच गुना मण्डी शुल्क के मान से रूपये 569537/- मण्डी शुल्क पर ब्याज रूपये 287346/- आर्थिक दण्ड राशि रूपये 5500/- एवं निराश्रित शुल्क की राशि रूपये 10929/- कुल राशि रूपये 873312/- जमा कराई गई । शेष एक फर्म किशनचंद धर्मूमल के द्वारा मण्डी शुल्क का अपवंचन करने पर फर्म के विरूद्ध बकाया राशि रूपये 1245221/- की वसूली हेतु तहसीलदार कटनी के न्यायालय में आर.आर.सी. के तहत प्रकरण क्रमांक 11/ए/76/02-03 दिनांक 07.02.2003 से पंजीबद्ध किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
67	249+255 एकजाई	अता.प्र.सं.23 (क्र.3450) दि. 26.03.2002 एवं अता.प्र.सं.76 (क्र.3448) दि. 18.03.2002	पन्ना कृषि उपज मण्डी की अध्यक्ष द्वारा मण्डी के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति के बगैर संस्था में निरीक्षण किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	जांच उपरांत संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति, पन्ना द्वारा मंडी के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति के बगैर संस्थान में निरीक्षण किये जाने पर म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 55 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । आरोप प्रमाणित होने पर म.प्र. राज्य विपणन कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के आदेश दि. 05.06.04 द्वारा उन्हें कृषि उपज मण्डी समिति, पन्ना के अध्यक्ष पद से हटाये जाने का निर्णय पारित किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रणधीर सिंह यादव, अध्यक्ष द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्र.-2247/84 दायर कर कृषि उपज मण्डी समिति, पन्ना को अध्यक्ष के पद पर यथावत बनाये रहने का आदेश प्राप्त किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी 10/218/2002/14-3, दिनांक 15.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	260	ता.प्र.सं.05 (क्र.5330) दि. 08.04.2002	कृषि उपज मण्डी समिति लौड़ी जिला छतरपुर के सचिव के विरूद्ध अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायतों पर कार्यवाही की जाना।	1. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही गुणदोष के आधार पर कार्यवाही करना संभव है। 2. इसलिये इसकी पूरी विवेचना करके जो भी दोषी होगे उनको दंडित करेंगे। 3. जिस मामले में दोषी पाया गया है उसमें उप संचालक से कमेंट मांगे है और उस पर कार्यवाही होगी। 4. जल्दी एक महीने में कर देंगे।	श्री एस.पी. सिंह तत्कालीन मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लौडी के विरूद्ध 16 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से 4 शिकायतों के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। 12 शिकायतों के जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुये जिसमें परीक्षण उपरांत विभागीय जांच संस्थित की गयी है। वर्तमान में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी 10/216/2002/14-3, दिनांक 05.08.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 26639/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 14.04.2006 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही। इसके पश्चात् इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 24005/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 01.12.2012 तथा पत्र दिनांक 10.04.2013 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***विभागीय जानकारी का जांच प्रतिवेदन।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
69	267	ता.प्र.सं.19 (क्र.6898) दि. 15.04.2002	सतना मंडी में धर्मकांटा क्रय किया जाकर उसके चालू न करने के कारण मंडी को हुई क्षति के लिए दोषी अधि. के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही।	1. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही संबंधितों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। 2. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही दोषी अधिकारियों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी एवं गुणदोष के आधार पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।	सामान्य प्रशासन विभाग ने श्री मिश्रा को दोषमुक्त करते हुए अपने आदेश दिनांक 04.11.2004 द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/1382/02/14-3, दिनांक 06.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
70	268	अता.प्र.सं.49 (क्र.7087) दि. 15.04.2002	सतना जिले की नागौद कृषि उपज मंडी द्वारा 27 दुकानों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच निष्कर्ष प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।	जांच निष्कर्ष अनुसार दुकानों का निर्माण अभी नहीं हुआ है। अत: निर्माण में अनियमितता की जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/1296/218/02/14-3, दिनांक 04.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
71	269	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.7002) दि. 15.04.2002	कृषि उपज मण्डी समिति लौंडी के सचिव श्री एस.पी. सिंह द्वारा नियम विरूद्ध राशि का आहरण एवं फर्जी व्यय की शिकायत की जांच तथा कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोषों के आधार पर कार्यवाही कर उसकी प्रति उपलब्ध कराई जा सकेगी।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्री एस.पी. सिंह, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, लौंडी के विरूद्ध विभागीय जांच दिनांक 07.02.2005 से संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/203/02/14-3, दिनांक 15.07.2005**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72	298	परि.अता.प्र.सं.27 (क्र.6829) दि. 15.04.2002	भोपाल शहर में नर्मदा जल लाने की योजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना।	कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	भोपाल शहर की नर्मदा जल प्रदाय योजना फरवरी 2005 में स्वीकृत की जाकर योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में किया गया है। योजना की रूपांकित क्षमता 180 एम.एल.डी. के सभी कार्य पूर्ण किये जाकर योजना का संचालन-संधारण दिनांक 01.10.2013 से नगर निगम भोपाल द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजना से वर्तमान में नगर निगम की आवश्यकता के अनुरूप 90 एम.एल.डी. जल प्रदाय किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4173/2215/2014/2/34, दिनांक 13.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	302	अता.प्र.सं.33 (क्र.1328) दि. 11.03.2002	शहडोल जिले में मार्च, 2001 तक सेवानिवृत्त कार्यभारित सहायक के सकल देयकों का भुगतान एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	यथाशीघ्र परीक्षणोपरांत बताया जावेगा।	मुख्य अभियंता (रीवा परिक्षेत्र) लो.नि.वि. के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4476/दिनांक 03.09.2002 एवं आदेश क्रमांक 6120 दिनांक 15.11.2002 के द्वारा श्री के.के. निगम, समयपाल एवं श्री एम.पी. अवधिया कार्य सहायक के डी.पी.एफ. की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाकर कार्यपालन यंत्री शहडोल को भुगतान हेतु निर्देशित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21/6/02/स्था/19, दिनांक 12.05.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 11973/वि.स./आश्वा./11, दिनांक 25.05.2011 एवं पत्र दिनांक 06.11.2012, 10.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***भुगतान की स्वीकृति कब प्रदान की गई, संबंधितों को भुगतान कब मिला एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
74	307	अनुदान की मांग दि. 18.03.2002	सड़कों के निर्माण हेतु टेण्डर काल करते समय ही कहां से कच्चा माल लिया जायेगा यह सुनिश्चित कर उक्त खदान की स्वीकृति केन्द्र से लिए जाने संबंधी संभावना का परीक्षण एवं कार्यवाही।	मा. सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है निश्चित रूप से अच्छा है मैं इसका उच्च स्तरीय परीक्षण करवाऊंगा देखेगें कि क्या संभव हो सकता है। यदि यह संभव होगा तो निश्चित रूप से क्रियान्वित करेंगे।	प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5640/6369/19/यो/08, दिनांक 20.08.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 11973/वि.स./आश्वा./2011 दि. 25.05.2011 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***समिति की रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	310	ता.प्र.सं.06 (क्र.3734) दि. 19.03.2002	वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में लहार संभाग में नाबार्ड योजनान्तर्गत साख पत्र में जारी राशि से स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो पर राशि खर्च किये जाने की जांच शासन सचिवालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाना एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	1. निश्चित रूप से दोषी पाये जायेंगे तो ई.ई के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 2. जांच में अगर अनियमितता पाई जायेगी तो कार्रवाई करेंगे। 3. यदि इसमें कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित रूप से हम एक्शन लेगें। दूसरी बात मैंने यह भी स्वीकार किया है कि हम इसकी जांच करवायेंगे। 4. यदि फंड डायवर्ट हुआ होगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। 5. जी हां करवा देंगे।	विभाग के पत्र क्रमांक एफ-17-69/2003/स्था/19 दिनांक 07.11.03 द्वारा श्री आर.के.वर्मा, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री आर.के.वर्मा, कार्यपालन यंत्री दिनांक 30.09.2004 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण शासन ने आदेश क्रमांक 30.08.2012 द्वारा श्री वर्मा की दो वेतन वृद्धि के बराबर की राशि रूपये 2470/- (दो हजार चार सौ सत्तर रूपये) उन्हें देय स्वत्वों में से वसूल किये जाने की शास्ति अधिरोपित करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है। प्रकरण से संबंधित संभागीय लेखा अधिकारी के विरूद्ध प्रारूप आरोप पत्रादि शासन द्वारा महालेखाकार कार्यालय म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-17-69/03/स्था/19, दिनांक 11.10.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
76	317	अता.प्र.सं.66 (क्र.3751) दि. 19.03.2002	होशंगाबाद लोक निर्माण सर्किल में नाबार्ड की सड़कों का टेन्डर टुकड़ों-टुकड़ों में लगाये जाने से हुई हानि के संबंध में कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत बताना संभव होगा।	विभागीय पत्र क्रमांक एफ-17-42/03/स्था-19 दिनांक 29.12.04 द्वारा आरोप पत्र जारी विभागीय आदेश क्रमांक-एफ-17-42/03/स्था-19 दिनांक 04.05.2006 द्वारा श्री बी.के. सोनगरा, तत्का. अधीक्षण यंत्री (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है एवं शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.2006 द्वारा श्री बी.एन.श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21/6/02/स्था/19, दिनांक 12.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
77	320	ता.प्र.सं.25 (क्र.4728) दि. 27.03.2002	जिला रायसेन में बम्होरी से देहगांव रोड निकालने से प्रभावित कृषकों को उनकी भूमि के मुआवजे राशि का भुगतान।	राजस्व विभाग से अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।	कृषकों को भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु धारा-4 में प्रकाशन हो चुका है, एवं धारा 6 में प्रकाशन हेतु भेजा गया है, तत्पश्चात अवार्ड पारित कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-18-19/02/सा-19, दिनांक 25.03.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 21739/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 28.09.2005, एवं पत्र दिनांक 25.05.2011, 06.11.2012, 10.04.2013 द्वारा अतिरिक्त/अद्यतन जानकारी चाही गई। लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	325	अता.प्र.सं.33 (क्र.4982) दि. 09.04.2002	लोक निर्माण विभाग में जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर में कार्यरत कार्यपालन यंत्रियों द्वारा आवंटन से अधिक राशि खर्च किये जाने की जांच एवं संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही।	स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।	आश्वासन अनुरूप संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर दिनांक 19.09.2006 को अंतिम आदेश जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1/-37/2002/बी/19, दिनांक 28.05.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
79	326	अता.प्र.सं.32 (क्र.6529) दि. 16.04.2002	प्र.अ.लो.नि.वि. के आदेशानुसार वर्ष 1999-2000 में बिना अनुमति लिये डामर क्रय करने वाले उपयंत्रियों, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी रा.रा. मार्ग उपसंभाग मैहर के विरूद्ध रू.2,34,370/- की व्यक्तिगत वसूली की जांच एवं कार्यवाही।	आरोपी अधिकारियों से आरोप पत्र के संबंध में उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया जाकर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।	विभागीय जांच उपरांत श्री आर.के. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त उपयंत्री को परिनिंदा की शास्ति देकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1568/801/बी/19/09, दिनांक 30.01.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
80	330	अता.प्र.सं.21 (क्र.657) दि. 04.03.2002	विदिशा जिले के अंतर्गत 100 शैया वाले सिविल अस्पताल सिरोंज में रिक्त पदों की पूर्ति एवम् उपकरणों की व्यवस्था की जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति एवम् सीधी भर्ती के हटने पर की जा सकेगी।	सिविल अस्पताल सिरोंज जिला विदिशा में चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 18-36/02/स्वा./19, दिनांक 23.03.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.
81	332	ता.प्र.सं.14 (क्र.2252) दि. 11.03.2002	भोपाल संभाग के जिलों में प्रभारी सी.एम.ओ. या सिविल सर्जन के विरूद्ध संस्थित आडिट आपत्तियां विभागीय जांच व अनियमितता के प्रकरणों की जांच एवं प्रभारी पद से हटाने की कार्यवाही।	जैसे ही आडिट आपत्ति की विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से दोषी प्रभारी सी.एम.एच.ओ., सिविज सर्जन के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।	विषयांकित प्रश्न क्रमांक 2252 के संदर्भ में अपर संचालक, वित्त से उनके पत्र क्रमांक 6/आडिट/ वि.स./2007/572, दिनांक 01.11.2007 द्वारा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2252 से उद्भुत आश्वासन क्रमांक 332 में डॉ. डी.पी.गौर, तत्का. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद की अवधि में महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा उठाई गई वर्ष 2002 की आडिट आपत्तियों की विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षणोपरांत वर्ष 2002 की आडिट रिपोर्ट अनुसार किसी अधिकारी पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-16/32/05/5-1, दिनांक 29.11.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
82	336	ता.प्र.सं.03 (क्र.1938) दि. 19.03.2002	सतना जिले के मैहर में 100 बिस्तर अस्पताल के निर्माण हेतु मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन।	1. यथासंभव शीघ्र। 2. मान. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा का क्रियान्वयन किया जाएगा।	म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-34/03/सत्रह/मे-3, दिनांक 03.10.03 द्वारा मैहर के 30 बिस्तरीय अस्पताल को 60 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन के साथ एक जी टाइप एवं एक ''एच'' टाइप आवासगृह के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति रू. 65.00 लाख की जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-16-119/04/17/मेडि-1, दिनांक 28.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
83	337	ता.प्र.सं.15 (क्र.3830) दि. 19.03.2002	डॉ. एच.एस. सागर बी.एम.ओ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस जिला मुरैना द्वारा शासन आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाना।	हमने स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण आने के बाद हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।	डॉ. एच.एस. सागर, से प्राप्त प्रतिवाद उत्तर के तथ्यों को मान्य करते हुये उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध न होने के कारण विचारोपरांत प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 6880/2008/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 12.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
84	338	ता.प्र.सं.11 (क्र.9325) दि. 19.03.2002	बैतूल जिले में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	यथा संभव शीघ्र।	बैतूल जिले में शासन आदेश क्रमांक एफ 2-24/02/17/मेडि-1 दिनांक 10 फरवरी 2004 द्वारा बैतूल जिले में 10 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक – 16-119/04/17/मेडि-1, दिनांक 28.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85	346	परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.5201) दि. 09.04.2002	शासनादेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी डॉ. अनुपम वर्मा, सी.एम.एच.ओ. उज्जैन एवं सी.एम.एच.ओ., छिन्दवाड़ा के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	शासनादेश क्रमांक एफ 1-52/98/17/मेडि-1, दिनांक 13.04.2000 द्वारा डॉ. बी.एम. भसीन, जिला क्षय अधिकारी, सीधी को पदोन्नत कर अधीक्षक के पद पर क्षय आरोग्य धाम जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ किया गया जहां उन्होनें दिनांक 16.05.2000 को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा डॉ. अनुपम वर्मा, जिला क्षय अधिकारी, देवास को अधीक्षक के पद पर उज्जैन में पदस्थ किया गया जिस पर उन्होनें दिनांक 17.05.2000 को कार्यभार ग्रहण किया। तदोपरांत शासन आदेश दिनांक 09.06.2000 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 13.04.2000 में आंशिक संशोधन कर डॉ. अनुपम वर्मा को अधीक्षक जिला क्षय आरोग्य धाम, छिन्दवाड़ा में तथा डॉ. भसीन को क्षय रोग विशेषज्ञ के पद पर जिला आरोग्यधाम छिन्दवाड़ा में पदस्थ किया गया। शासन आदेश में यह स्पष्ट लेख है किया गया है कि दिनांक 13.04.2000 के पालन में संबधित चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया हो तो आदेश प्रभावशील नहीं होगा का उल्लेख किया परंतु शासन के द्वितीय आदेश के अनुक्रम में संबधित चिकित्सकों द्वारा स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। शासन आदेश द्वारा डॉ. अनुपम वर्मा, अधीक्षक पद से क्षय आरोग्य धाम, छिन्दवाड़ा से दिनांक 30.09.2003 को सेवानिवृत्त हो गये तथा डॉ. बी.एम. भसीन, डी.एच.ओ. शासन आदेश क्रमांक एफ 0-77/2005/17/ मेडि-1, दिनांक 02.02.2006 द्वारा दि. 30.06.2006 को सेवानिवृत्त हो गये। अत: ऐसी स्थिति में संबंधित दोनों चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4119/5234/2010/सत्रह/ मेडि-1, दिनांक 11.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
86	347	परि.अता.प्र.सं.66 (क्र.5877) दि. 09.04.2002	सागर के खाद्य निरीक्षक द्वारा अनियमितता करने पर विभाग द्वारा जांच कर कार्यवाही की जाना।	विभागीय जांच पूर्ण होने पर शास्ति आरोपित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अनिवार्य सेवा निवृत्ति के संदर्भ में नियमानुसार अन्य प्रकरणों के साथ छानबीन समिति द्वारा समीक्षा की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
87	349	परि.अता.प्र.सं.104 (क्र.6545) दि. 09.04.2002	मझौली जिला सीधी अस्पताल में महिला चिकित्सकों एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाना।	यथासंभव शीघ्र।	मझोली अस्पताल में महिला चिकित्सक की डियूटी विजिटिंग चिकित्सक के रूप में लगाई गई है एवं आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5307/2008/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 17.04.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
88	351	अता.प्र.सं.62 (क्र.6111) दि. 09.04.2002	मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरसिंहपुर कार्यालय में लंबित यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान किया जाना।	बजट प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89	352	परि.अता.प्र.सं.67 (क्र.5878) दि. 09.04.2002	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया के विरूद्ध शिकायत की जांच।	जांच कराई जा रही है, जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में प्रारंभिक जांच आडिट दल द्वारा की गई थी, प्रारंभिक जांच में डॉ. संतोष दीक्षित, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तत्कालीन सी.एम.ओ/सी.एस दतिया (2) श्री पी.के. खरे, लेखापाल कार्यालय सी.एम.ओ. दतिया (3) श्री राजकुमार शर्मा, स्टोरकीपर, कार्यालय सी.एम.ओ. दतिया (4) श्री ए.पी.एस. तोमर, लेखापाल कार्यालय सी.एम.ओ. दतिया को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण शासन के पत्र क्र. एफ-11-81/02/मेडि-1 दिनांक 10.06.03 द्वारा निलंबित किया गया था, तदुपरांत दिनांक 01.09.03 को आरोप पत्रादि जारी किये गये थे। जारी आरोप पत्र के संबंध में प्रतिवाद उत्तर प्राप्त हुए, प्रतिवाद उत्तर पर विचारोपरांत डॉ. संतोष दीक्षित, को शासन द्वारा निलंबन से बहाल किया गया तथा श्री राजकुमार शर्मा का प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक पाये जाने पर शासन के आदेश क्र. एफ-11-81/02/17/मेडि-1, दि. 08.10.04 द्वारा बहाल करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण समाप्त किया गया। श्री ए.पी.एस. तोमर, लेखापाल के प्रतिवाद उत्तर पर विचारोपरांत उन्हें निलंबन से बहाल कर ग्वालियर पदस्थ किया गया। आदेश क्रमांक एफ-11-81/02/17/मेडि-1, दि.01.01.05 द्वारा डॉ. संतोष दीक्षित, सी.एम.ओ. दतिया, श्री ए.पी.एस. तोमर, लेखापाल, दतिया श्री पी.के. खरे, लेखापाल के विभागीय जांच प्रकरण में विभागीय जांच आयुक्त, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही गतिशील है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ16-117/05/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 22.06.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 26512/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 09.12.2005 एवं पत्र दिनांक 22.06.2007, 03.06.2011, 16.04.2013 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही गई। **इसके पश्चात् विभाग द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी प्रेषित की गई :-** प्रकरण में प्रारंभिक जांच आडिट दल द्वारा की गई थी, प्रारंभिक जांच में डॉ. संतोष दीक्षित, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तत्कालीन सी.एम.ओ/सी.एस दतिया (2) श्री पी.के. खरे, लेखापाल कार्यालय सी.एम.ओ. दतिया (3) श्री राजकुमार शर्मा, स्टोरकीपर, कार्यालय सी.एम.ओ. दतिया (4) श्री ए.पी.एस. तोमर, लेखापाल कार्यालय	कोई टिप्पणी नही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					सी.एम.ओ. दतिया को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण शासन के पत्र द्वारा निलंबित किया गया था । प्रतिवाद उत्तर पर विचारोपरांत डॉ.संतोष दीक्षित को शासन द्वारा निलंबन से बहाल किया गया तथा श्री राजकुमार शर्मा को प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक पाये जाने पर शासन के आदेश क्र. एफ-11-81/02/17-मेडि-1, दिनांक 08.10.2004 द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण समाप्त किया गया। श्री ए.पी.एस.तोमर, लेखापाल, के प्रतिवाद उत्तर पर विचारोपरांत उन्हें निलंबन से बहाल किया गया । डॉ.संतोष दीक्षित, तत्कालीन सी.एम.ओ., दतिया एवं अन्य 03 के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर, विभागीय जांच आयुक्त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 17/210/05/17/मेडि-2, दिनांक 28.10.2005**	
90	355	अता.प्र.सं.10 (क्र.5291) दि. 16.04.2002	विधानसभा प्रश्न क्र. 6092 दिनांक 17 सितंबर, 2001 के प्रत्युत्तर में दोषी पाये गये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोसी.एस. के पद से हटाने तथा जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	1. नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर कार्यवाही की जावेगी। 2.जैसा माननीय सदस्य चाहते है सी.एस. के पद पर उन्हें उस पद से भी हटा देगें 3. जैसा आश्वासन दिया था कि एक माह में चार्ज शीट देंगे और दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही करेंगे ।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>91</td><td>356</td><td>ता.प्र.सं.244
(क्र.4519)
दि. 16.04.2002</td><td>जिला रेडक्रास सोसायटी, धार द्वारा विकासखण्ड बदनावर के ग्राम संदुला में संचालित अस्पताल को शासकीय घोषित करने हेतु बजट में प्रावधान किया जाना।</td><td>निर्णय हो जाने पर बजट में प्रावधान का प्रयास किया जायेगा।</td><td>मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ1-12/2001/ 55/चि.शि./3 दिनांक 20 जून 2013 द्वारा ग्राम संदूला, विकासखण्ड-बदनावर, जिला-धार में स्थित रेडक्रास चिकित्सालय को चल अचल सम्पत्ति सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया है। ग्राम-संदूला, विकासखण्ड-बदनावर में निम्न अमला कार्यरत है -
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>नाम</th><th>पद जिस पर संविलियन किया जा रहा है</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ. महेश कुमार पोरवाल</td><td>आयुर्वेद चिकित्साधिकारी</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री सोहन सिंह पंवार</td><td>आयुर्वेद कम्पाउण्डर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री राधेश्याम चौहान</td><td>औषधालय सेवक</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री दीपक कुमार डांगर</td><td>पार्ट-टाईम स्वीपर</td></tr>
</table>
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी ग्राम संदूला, विकासखण्ड-बदनावार के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिसमें ए.एन.एम. कार्यरत होकर समस्त नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किये जा रहे है।
विभागीय पत्र क्रमांक –
1468/2014/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 19.01.2014</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
<tr><td>92</td><td>358</td><td>परि.अता.प्र.सं.59
(क्र.7033)
दि. 16.04.2002</td><td>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल द्वारा पल्स पोलियों अभियान 99 के अंतर्गत विज्ञापन दिये जाने की जांच तथा कार्यवाही।</td><td>जांच के आदेश दिये जा रहे है। तद्उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।</td><td>स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा दिनांक 07.10.2003 को सुधीर सक्सेना, लेखापाल एवं पत्र दिनांक 07.10.03 द्वारा श्रीमती शैल चौबे उप जन शिक्षा एवं साधन अधिकारी को आरोप-पत्रादि जारी किये गये। प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण संचालनालय के आदेश दिनांक 20.05.05 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
विभागीय पत्र क्रमांक –
एफ-16/30/05/17-मेडि-1, दिनांक 27.10.2005

समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 184/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 02.01.2006 एवं पत्र दिनांक 22.06.2007, 14.07.2009, 03.06.2011, 16.04.2013 द्वारा अद्यतन जानकारी चाही गई।
लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।</td><td>परिशिष्ट - 1 के अनुसार.</td></tr>
</table>

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
93	363	ता.प्र.सं.13 (क्र.844) दि. 05.03.2002	स्कूल शिक्षा विभाग में 1994 में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बने प्राचार्य की जांच के लिये बनी दीक्षित समिति जांच कार्य को पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	आगामी सत्र तक कोशिश करेंगे की फायनल हो जायेगा।	विभागीय जांच की पूर्ण/अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:- श्री श्याम नारायण शर्मा की विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है। श्री शर्मा को संचालनालय के पत्र दिनांक 18.10.2011 द्वारा सेवायें समाप्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कानूनी कार्यवाही करने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर श्री श्याम नारायण शर्मा, प्राचार्य उ.मा.वि. को सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 74/48/2013/बीस-4, दिनांक 23.01.2013**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
94	377	ता.प्र.सं. (क्र.2719) दि. 13.03.2002	गिर्द विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति शासन से प्रतिबंध हटने पर ही की जावेगी।	जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 9051 दिनांक 12.05.2003 एवं आदेश क्रमांक 1404 दिनांक 03.12.04 द्वारा रिक्त शिक्षकों के पद पर पदोन्नति कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1420/1508/2011/20-1, दिनांक 26.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं .
95	383	अता.प्र.सं.64 (क्र.3762) दि. 20.03.2002	शिवपुरी जिले में द्वितीय क्रमोन्नति दिए जाने की जांच एवं निराकरण।	केवल सेवानिवृत्ति के प्रकरणों से कोष एवं लेखा, ग्वालियर द्वारा आपत्ति की जा रही है। जिसके निराकरण कराने की कार्यवाही प्रचलित है।	जिला अंतर्गत 317 पात्र कर्मचारियों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। अत: प्रकरण निराकरण योग्य है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1259/1359/1366/2011/ 20-4, दि. 22.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं .
96	387	अता.प्र.सं.35 (क्र.2766) दि. 20.03.2002	रायसेन जिले में 1983-84 के बाद नियुक्त सहायक शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान का लाभ दिया जाना।	परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में जिला रायसेन में वर्ष 1983-84 के बाद नियुक्त 331 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान प्रदान करने के आदेश जारी किए जाकर लाभ प्रदान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1366/2011/20-4, दिनांक 22.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
97	389	अता.प्र.सं.40 (क्र.3194) दि. 20.03.2002	सतना जिले की नागौद तहसील अंतर्गत संचालित माध्यमिक शाला का उन्नयन।	बजट प्रावधान होने पर निर्भर करेगा।	शासकीय माध्यमिक शाला कोंडर विकास खण्ड नागौद का हाईस्कूल में उन्नयन संचालनालय के आदेश पत्र क्रमांक/ योजना/286 दिनांक 18.06.2008 द्वारा किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1420/1508/2011/20-1, दिनांक 26.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98	406	परि.ता.प्र.सं.3524 (क्र.) दि. 03.04.2002	पन्ना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देहाती क्षेत्रों में जहां 5 से कम शिक्षक हैं, वहां शिक्षकों की पूर्ति।	प्रतिबंध हटने पर पूर्ति की कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी।	पन्ना जिले की शालाओं में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के 17 श्रेणी-2 के 140 तथा श्रेणी-3 के 124 रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1593/2052/2011/20-1, दिनांक 27.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
99	417	अता.प्र.सं. (क्र.6285) दि. 10.04.2002	शा.हाईस्कूल ब्रिजीसनगर में प्र.अ.प्रा.वि./मा.वि. प्राचार्य हाई स्कूल एवं लिपिक वर्ग-2 का एक-एक पद पदोन्नति से भरने एवं सहायक शिक्षक विज्ञान का एक पद संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति द्वारा भरने संबंधी।	शा.हाईस्कूल ब्रिजीसनगर में प्र.अ./प्रा.वि./मा.वि. प्राचार्य हाईस्कूल एवं लिपिक ग्रेड-2 के पद पदोन्नति से भरने एवं सहायक शिक्षक विज्ञान का पद संविदा से भरने विषयक।	शा.हाई स्कूल ब्रिजीसनगर में प्राचार्य हा.स्कूल एवं लिपिक वर्ग-2 का पद अगस्त-2003 में स्थानांतरण से तथा प्रा.अ.मा.वि. का पद पदोन्नति से जुलाई-2004 में भर दिया गया है। सहा.शि.(विज्ञान) का पदांकन अगस्त-2009 में किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30/339/02/बी-1, दिनांक 21.12.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
100	421	अता.प्र.सं.12 (क्र.5782) दि. 17.04.2002	जिला विदिशा अंतर्गत नटेरन विकासखंड में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 एवं 3 की भर्ती में अनियमितताओं बाबत जनपद पंचायत सदस्य की शिकायत पर जांच एवं कार्यवाही किया जाना।	विकासखण्ड नटेरन में संविदा शाला शिक्षक भर्ती की जांच हेतु कलेक्टर विदिशा द्वारा जांच समिति गठित की गई है, जांच प्रक्रिया जारी है।	जिला विदिशा शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासखण्ड नटेरन में संविदा शाला शिक्षक वर्ग दो-तीन की भर्ती में अनियमितता पर जांच की जाकर कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 2186/29/विजा/विकास/2008 दिनांक 31.08.10 के द्वारा श्री व्ही.के. जैन तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नटेरन को भविष्य के लिये सचेत किया जाकर विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **973/3064/2002/20-1, दिनांक 10.06.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101	426	ता.प्र.सं.23 (क्र.1805) दि. 19.03.2002	खाद्य निरीक्षकों को नापतौल विभाग के दायित्व सौंपने की कार्यवाही।	व्यावहारिक प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण हेतु भेजा जावेगा।	माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. 5375/2005 में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (कार्यपालिका) संघ के आवेदन पर विचार करते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नापतौल के अधिकार नहीं सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा खाद्य निरीक्षकों को नापतौल निरीक्षक का दायित्व सौंपने के संबंध में पदेन नापतौल निरीक्षक घोषित करने बाबत् जारी अधिसूचना 12-15/94/29/2 दिनांक 06.03.02 को श्री पी.के. टेमरे एवं अन्य के वाद क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1613/03 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में चुनौती दी है। यह वाद अभी विचाराधीन है। राज्य शासन ने याचिका क्रमांक 5375/2005 में माननीय न्यायालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन पर विचार कर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की कमी के आधार पर आदेश क्रमांक एफ 7/58/2006/29-2, दिनांक 02.05.2008 से नापतौल के अधिकार नहीं सौंपने का निर्णय लिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-01/2013/29-1, दिनांक 16.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102	435	ध्यानाकर्षण सूचना-697 दि. 04.04.2002	भोपाल स्थित लक्ष्मीनारायण कालेज ऑफ टेक्नालाजी प्रबंधक द्वारा अनुपस्थित छात्रों से अवैध वसूली की जाने की जांच।	1. जो भी अनियमिततायें हैं उनकी जांच के लिए हम व्यवस्था करवा रहे है। 2. हम सचिव के माध्यम से बड़े से बड़े सक्षम अधिकारी से जांच करवा देंगे। 3. जो भी अनियमिततायें हैं उनकी और अन्य प्रकरण होंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराने का मैं आश्वासन देता हूँ। 4. मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एआईसीटीई के जो नार्मस् हैं वे और मध्यप्रदेश शासन के नियमों के तहत जो कार्यवाही हो सकती होगी वह कार्यवाही हम करेंगे।	***बिन्दु क्रं 1 एवं 2*** :- भोपाल स्थित लक्ष्मीनारायण कालेज ऑफ टेक्नॉलाजी प्रबंधक द्वारा अनुपस्थित छात्रों से कथित अवैध वसूली की जांच करने हेतु शासन के ज्ञाप क्र. एफ 30-27/2002/ 42-1 दिनांक 12.06.2002 द्वारा डॉ. सी.वी.पी. पिल्लई, सेवा निवृत्त नियंत्रक व्यामक, डॉ. पी.सी. शर्मा सेवा, निवृत्त अति संचालक तक.शिक्षा एवं श्री सुभाष दुबे, संयुक्त संचालक तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ***बिन्दु क्रं 3 :-*** जांच समिति ने जांच में पाया कि बिना कारण की अनुपस्थित की दशा में संस्था द्वारा छात्र पर जो भी आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया था, उसका उल्लेख संस्था के प्रास्पेक्टस में था, फिर भी यदि अध्ययनरत् छात्र तर्कसंगत कारणों को प्रस्तुत करते हैं तो आर्थिक दण्ड की राशि माफ की जाती है। ***बिन्दु क्रं 4 :-*** स्थानीय स्तर पर संस्था द्वारा अनुशासन बनाये रखने के लिये यह व्यवस्था की गई थी। एआईसीटीई/राज्य शासन के तत्समय इस संबंध में कोई मापदण्ड नहीं थे। राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2007 में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है, जो कॉशनमनी लेने के संबंध में अनुशंसा करती है तथा शिकायतों को सुनने के लिये अधिकृत है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ30-57/2002/42/(1), दिनांक 29.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
103	436	ता.प्र.सं.58 (क्र.6063) दि. 09.04.2002	शासकीय पोलीटेक्निक कॉलेज शहडोल में अनाधिकृत रूप से प्राचार्य का कार्य कर रहे श्री डी.पी. सोनी के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	शिकायत की जांच प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, नरसिंहपुर से करवाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री डी.पी. सोनी दोषमुक्त पाये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-01/2013/29-1, दिनांक 16.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
104	437	अता.प्र.सं.61 (क्र.6088) दि. 09.04.2002	शासकीय पोलीटेक्निक शहडोल में नियम विरूद्ध की गई नियुक्तियों की जांच।	जांच पूर्ण होने के उपरांत ही दोषी अधि./कर्म. के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री डी.पी. सोनी की शहडोल से मुरैना स्थानांतरण किया गया था तथा इनके विरूद्ध आरक्षण नियमों का पालन न करने के कारण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण विधि विभाग को भेजा गया था विधि विभाग द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई है। श्री डी.पी. सोनी वर्ष 2009 में सेवानिवृत्ति हो गये हैं। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानुसार ऐसे किसी घटना के लिए जो सेवानिवृत्ति के 04 वर्ष पूर्व घटित हुई है विभागीय जांच की कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रकरण वर्ष 1987 में हुई अनियमितताओं से संबंधित होने के कारण अब अपचारी अधिकारी श्री सोनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है। अत: किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो कर्मचारी वर्ष 1987 में नियुक्त/नियमित किये गये थे वे अभी सेवा में कार्यरत हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-30/2002/42(1), दिनांक 11.06.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
105	442	अता.प्र.सं.81 (क्र.4315) दि. 22.03.2002	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भोपाल की शाखा मिसरोद में वर्ष 89 से 91 तक वितरण में नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।	श्री एच.पी. मिश्रा पर्यवेक्षक के विरूद्ध आरोपित विभागीय जांच बैंक अंकेक्षण श्री आर.के. खत्री द्वारा की जा रही थी। श्री खत्री का स्थानांतरण हो जाने से बैंक के आदेश क्रमां स्था/534 दिनांक 05.09.03 द्वारा विभागीय जांच करने हेतु श्री गोपाल विष्णु श्रीवास्तव निरीक्षण अधिकारी की जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2003 को जांच प्रतिवेदन एवं दिनांक 05.02.2004 की पूरक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैंक के पत्र क्रमांक स्था/1105 दि. 06.02.04 के द्वारा स्टाफ कमेटी के समक्ष श्री मिश्रा की सुनवाई का अवसर दिया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच में श्री मिश्रा के द्वारा श्री प्यारेलाल आ. नाथूराम निवासी कूआं खेड़ा के भूमि नीलामी प्रकरण की कार्यवाही करना विधि संगत एवं बैक हित में होना पाया गया, किंतु नीलामी प्रक्रिया के पालन में कुछ लापरवाही करने का दोषी पाया गया। श्री मिश्रा को स्टाफ कमेटी के समक्ष दिये बयान व जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री मिश्रा द्वारा उक्त भूमि की कार्यवाही बैंक हित में होने से उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। मात्र नोटशीट लिखने संबंधी असावधानी की गई है। अत: भविष्य में नीलामी की कार्यवाही में नोटशीट पर पूर्ण विवरण अंकित करने के निर्देश सहित सर्व सम्मति से जांच नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-91/2002/15-1, दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106	443	ता.प्र.सं.25 (क्र.2485) दि. 05.04.2002	सीधी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम की लीड समितियों में प्रबंधकों द्वारा मध्याह्न भोजन वितरण में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावेगी।	दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर सेवा सहकारी समिति मझौली के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र तिवारी की संस्था के संचालक व अध्यक्ष पद के हटाने संबंधी प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। इसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-69/2002/15-1, दिनांक 19.01.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र दि.05.12.2012 एवं दि.16.12.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- 1. प्रशासकीय कार्यवाही कब एवं क्या की गई आदेश की प्रति दें। 2. क्या माननीय न्यायालय की कार्यवाही को रद्द करने की कोई पहल हुई यदि नहीं तो क्यों ? 3. माननीय न्यायालय के द्वारा क्या आदेश पारित किये गये व कब ? विधान सभा सचिवालय द्वारा की गई पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराई गई:- (1) प्रशासकीय आदेश दि.25.01.2003 को जारी किया गया। (2) मा.न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2006 के द्वारा अपील निरस्त कर दी गई। (3) अपीलार्थी की अपील मा.न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने तथा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सीधी के प्रशासकीय आदेश को यथावत रखे जाने से प्रकरण में पहल किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **282/2016/15-1, दिनांक 11.02.2016**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107	444	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.4282) दि. 05.04.2002	जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, भोपाल में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	अपर पंजीयक, सहकारिता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	उत्तरदायी दोषी अधिकारी एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में भण्डार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक भण्डार/04/270 भोपाल दिनांक 12.08.2004 द्वारा प्राथमिकी सूचना दर्ज कराने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में थोक भण्डार सहकारी अधिनियम की धारा-53(1) से बोर्ड द्वारा अधिक्रमित है। तदनुसार वांछित कार्यवाही की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-97/2002/पन्द्रह-1, दिनांक 05.09.2005** विधानसभा सचिवालय के पत्र क्रमांक 9779/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 16.04.2013 से आश्वासन की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है :- जिला थोक उपभोक्ता भंडार मर्यादित भोपाल के पत्र क्र./भण्डार/2016/4, दिनांक 09.02.2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके द्वारा पत्र क्र.270, दिनांक 12.08.2004 से थाना प्रभारी थाना टी.टी.नगर भोपाल को दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में एफ.आई.आर. दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। दोषी कर्मचारियों को भण्डार की सेवा से पृथक किया जा चुका है। भण्डार के निर्वाचन संपन्न हो चुके है। वर्तमान में भण्डार में प्रबंध कारिणी समिति कार्यरत है। भंडार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है एवं वर्तमान में केवल तीन कर्मचारी कार्यरत हे। उन्हें 4000/- रू. प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है तथा कार्यरत कर्मचारियों को भी विगत 15 माहों से मासिक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होने एवं भंडार की सेवा से पृथक किये जाने के आधार पर आश्वासन की पूर्ति हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **383/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
108	447	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.5203) दि. 12.04.2002	गुलाबी गृह निर्माण समिति भोपाल के सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाना एवं अनियमितताओं की जांच ।	जांच के आदेश दिये गये है । नियमानुसार सभी सदस्यों को भू-खण्ड उपलबध कराये जायेंगे ।	संयुक्त पंजीयक के पत्र क्रमांक शिकायत/1357 दिनांक 14.04.02 द्वारा जांच का आदेश किया गया जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था अध्यक्ष की कार्यालयीन पत्र क्रमांक शिकायत/02/5206, दिनांक 11.12.02 द्वारा निम्न कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं :- 1. पूर्व संचालक मण्डल के विरूद्ध पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाये । 2. पूर्व संचालक मण्डल द्वारा की गई रजिस्ट्रियों को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे। 3. वरिष्ठताक्रम से जमा राशि अनुसार संस्था की शेष राशि उपलब्ध भूमि में से भूमि के विकास उपरांत भूखण्ड आवंटन की कार्रवाही की जावे। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-119/2002/15-1, दिनांक 30.07.2003** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 24491/वि.स./आश्वा./2012 दि. 05.12.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***भूखण्ड आवंटन में अनियमितता किए जाने पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई?*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
109	97	मुख्यमंत्री प्रहर दि. 11.03.2002	करेरा अभ्यारण्य के कारण भूमि के क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही।	मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहां की जनता की दिक्कतों ओर परेशानियों को पूरा ख्याल रखते हुए हम केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे।	करेरा अभ्यारण शिवपुरी में सोनचिड़िया न होने से अभ्यारण्य की आवश्यकता नहीं रही तथा अभ्यारण्य में स्थित 33 ग्रामों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। अत: अभ्यारण्य को डि-नोटिफाई करने हेतु राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा अनुशंसा दिनांक 09.06.2008 की बैठक में की गयी तदोपरांत प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 23.07.2008 को भेजा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **22/269/बी/02/10/12, दिनांक 19.08.2003**	कोई टिप्पणी नहीं.
110	461	ता.प्र.सं.37 (क्र.2466) दि. 14.03.2002	बालाघाट दक्षिण सामान्य वन मण्डल के अंतर्गत ग्राम वन समिति बडगांव (लॉजी) के निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अधिकार दिये जाने की कार्यवाही।	विधिवत् निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अधिकार मिल सकेंगे।	ग्राम वन समिति बड़गांव (लॉजी) के अध्यक्ष पद हेतु श्री दिलीप सिंह बैस, पुलिस पटेल एवं उपाध्यक्ष पद हेतु श्रीमती पुष्पा बाई पारधी, बड़गांव का विधिवत् निर्वाचन द्वारा दिनांक 28.06.2003 को निर्वाचित किये गये हैं। ग्राम वन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न किया गया है। चुनाव उपरांत समिति अध्यक्ष पद पर श्री दिलीप सिंह बैस, पुलिस पटेल तथा उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती पुष्पा बाई पारधी बड़गांव कार्य कर रही हैं। तदानुसार शासन संकल्प 2001 अनुसार ग्राम वन समिति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का उपयोग कर रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22/39/02/10/2, दिनांक 28.07.2003**	कोई टिप्पणी नहीं.
111	463 ए	ता.प्र.सं.13 (क्र.3777) दि. 21.03.2002	अधिग्रहित की गई वन भूमि में वनीकरण में हुई अनियमितताओं की कार्यवाही की जाना।	कहां-कहां पर वनीकरण हुआ है, उसकी सूची से मान. सदस्य को अवगत करा दूंगा।	अधिग्रहित की गई वनभूमि में वनीकरण में हुई अनियमितताओं का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22/34/02/10/2, दिनांक 25.01.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
112	464	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.3189) दि. 04.04.2002	विधानसभा क्षेत्र रेगांव परिक्षेत्र सिंहपुर के तहत वन विभाग की रबनगढ़, उमरदरी अठवरही, कचुरा तालपुर में जमीन पर कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार बेदखली हेतु नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई की जा रही है।	112 अतिक्रामकों में से 104 अतिक्रामकों से 102.560 हे. वन भूमि दिनांक 10.06.2004 की स्थिति में खाली करा ली गई है। शेष 08 अतिक्रामकों द्वारा रकबा 8.000 हे. में से 03 अतिक्रामकों को वनाधिकार के अंतर्गत हक प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जा चुका है । शेष 5 अतिक्रामकों के वनाधिकार दावा प्रकरण आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना में विचाराधीन होने से बेदखली की कार्रवाई वर्तमान में संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22-47/2002/10-3, दिनांक 29.09.2011** ***अद्यतन जानकारी*** - 112 अतिक्रामकों में से 104 अतिक्रामकों से 102.560 हे. वन भूमि दिनांक 10.06.2004 की स्थिति में खाली करा ली गई है। शेष रकबा 8.000 हे. में 08 अतिक्रामकों में से 07 अतिक्रामकों को क्रमशः दिनांक 17.06.2009, 01.12.2009 एवं दिनांक 13.04.2010 से वनाधिकार हक प्रमाण-पत्र प्रदाय किये जा चुके हैं। शेष 1 अतिक्रामक श्री लखन पिता सिद्धा मवासी की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी को दिनांक 25.08.2009 से अपात्र होने की सूचना दी जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22-47/2002/10-3/2082, दिनांक 02.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
113	469	परि.ता.प्र.सं.13 (क्र.4359) दि. 11.04.2002	वन संरक्षण कानून 1980 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वर्ष 1996 तक की अवधि के पश्चात् दर्ज किये गये प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत न करने संबंधी कार्यवाही की जाना।	अन्य प्रकरणों में केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	उक्त आश्वासन वर्ष 1997-2000 की अवधि में 7 वृत्तों के 10 वन मंडलों के 86 पी.ओ.आर. प्रकरणों से संबंधित हैं, जिनमें से 82 प्रकरण प्रश्न का उत्तर देने के दिनांक के ही न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कालातीत हो चुके थे । शेष 4 प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में कार्यवाही हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22-61/2002/03, दिनांक 15.01.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
आयुष विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
114	475	ता.प्र.सं.01 (क्र.02) दि. 11.03.2002	संभागीय आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय वर्तमान जिला आयुर्वेद अधिकारी जबलपुर से सन् 1993 से अगस्त 1997 तक लगभग 10 लाख रूपये के हुई गबन में मुख्य दोषी श्री आर.ए.वर्मा, मुख्य लिपिक एवं अन्य उत्तरदायी दोषियों के विरूद्ध जांच कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह सभी जांच पूरी कर ली जाये।	विभागीय जांच के निष्कर्ष अनुसार में श्री आर.ए. वर्मा मुख्य लिपिक रूपये 18,13,745/- के गबन के दोषी सिद्ध पाये जाने पर संचालनालय आदेश क्र/1/विजा/85-94, दिनांक 04.02.2005 द्वारा सेवा से पदच्युत किये गये। गबन की राशि में से श्री आर.ए. वर्मा द्वारा रूपये 1,91,758/- की राशि जमा करा दी गई है। प्रकरण व्यवहार न्यायालय जबलपुर में लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-41/2013/1/59, दिनांक 30.03.2015.**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115	477	परि.प्र.सं.05 (क्र.982) दि. 19.03.2002	केन्द्र सरकार से दवा के क्रय हेतु प्राप्त राशि का उपयोग।	प्रक्रिया अनुसार शीघ्र की जावेगी।	केन्द्र सरकार से प्राप्त रूपये 5.10 करोड़ की राशि दवाईयां क्रय करने हेतु लघु उद्योग निगम के पी.डी खाते में जमा कर दिया गया। लघु उद्योग निगम द्वारा क्रय आदेश प्रसारित किये गये। जिसके विरूद्ध रूपये 4,95,54,647.00 की औषधियां प्राप्त हो गई हैं। शेष रूपये 14,45,353.00 की दवाईयों की सूची को अंतरिम रूप दिये जाने के बाद लघु उद्योग निगम द्वारा औषधियां प्रदान करने की कार्यवाही संभव होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-10/2002/3-पचपन, दिनांक 24.01.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
116	483	अता.प्र.सं.26 (क्र.6406) दि. 16.04.2002	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में वर्ष 1988 व उसके पूर्व 31 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना।	स्थापना में पद रिक्त होने पर रोस्टर प्रक्रिया अनुसार इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।	गांधी चिकत्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंद्ध हमीदिया चिकित्सालय में दिनांक 31.12.88 के पूर्व के नियमितीकरण हेतु शेष 23 कर्मचारियों में से 20 कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। वर्ष 1988 के पूर्व के शेष 03 कर्मचारी नियमितीकरण हेतु शेष रह गये थे। अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल के आदेश दिनांक 06.08.2011 द्वारा 1988 के पूर्व के शेष बचे 03 वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-73/11/1/55, दिनांक 12.10.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
117	487	मांग संख्या :-73 की अनुदान मांग पर चर्चा दि. 19.03.2002	कार्डिएक साइंस सेंटर हमीदिया हास्पिटल भोपाल में चालू करने की कार्यवाही तथा इंदौर में भी ट्रामा यूनिट का उन्नयन एवं जबलपुर में इंसनिरेटर चलाने की कार्यवाही की जाना।	1. मैं आश्वस्त करना चाहूँगी कि 2 माह में यह पूरा सेंटर केथ मशीन लग कर चालू होने की कगार पर हैं। यह भी करीब 2-3 माह में भोपाल में कार्यरूप में चालू हो जाएगी। इंदौर में भी ट्रामा यूनिट के उन्नयन के लिए प्रावधान किया है इसके लिये भी प्रयास है यहां पर कुछ मशीनें आ गई हैं यह भी शीघ्रातिशीघ्र खुल जाये ताकि वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सकें। 2. जबलपुर के इंसीनिरेटर का ठेके पर चलाने की कार्यवाही हम लोग करेंगे।	1. चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंद्ध हमीदिया चिकित्सालय में कैथलैब की स्थापना की जा चुकी है एवं मरीजों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा हैं। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इंदौर में ट्रामा सेंटर सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाकर वर्ष 2003 से प्रारंभ कर दिया गया हैं। इसका लाभ मरीजों को प्राप्त हो रहा हैं। 2. चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में 1998 में इंसीनिरेटर की स्थापना की गई। दिनांक 15.03.2003 को इंसीनिरेटर का ठेका 3 वर्ष के लिए मैसर्स सेल्स प्रमोटर्स भोपाल को दिया गया। जुलाई, 2006 को आमंत्रित खुली निविदा के आधार पर उक्त फर्म को आगामी 5 वर्ष के लिए पुन: ठेका दिया गया हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-38/2011/2/पचपन, दिनांक 03.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118	492 एवं 493	ता.प्र.सं.02 (क्र.2684) दि. 16.04.2002	सागर जिले में विभागीय छात्रावासों/आश्रमों में भौतिक सत्यापन में विलंब होने से हुई अनुपयोगी सामग्री से शासकीय राशि की हुई हानि में जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाना। आदिवासी छात्रावासों/आश्रमों के स्टोर में सामग्री कम दर्शाने में अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई । सागर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों हेतु सामग्री व छात्रवृत्ति में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाना । इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं कार्रवाई की जाना ।	भौतिक सत्यापन में अनुपयोगी पाई जाने वाली सामग्री का अपलेखन एवं नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी साथ ही भौतिक सत्यापन में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारित किया जावेगा। इसकी जांच करा ली जावेगी और संबंधित विधायक महोदय को भी इसमें रखा जावेगा और हम इसकी पूरी जांच करायेंगे जो भी दोषी पाया जावेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जावेगी। इसलिये पूरी कोशिश की जावेगी कि जो भी इसमें इन्वाल्व रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जावेगी। पूरे प्रकरण की मैंने पहले ही कहा है कि विभागाध्यक्ष से इसकी जांच हम करवा लेगें यह मैं आश्वस्त करती हूँ।	सागर जिले में विभागीय छात्रावासों/आश्रमों की भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली सामग्री का अपलेखन एवं निलामी की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार समिति गठित कर नियमित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है सत्यापन के उपरांत सामग्री के आकंलन अनुसार कार्यालय के आदेश क्रमांक/आ.जा/क./स्टोर/ 826, एवं 287 दिनांक 17.02.02 द्वारा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को राशि जमा करने हेतु नोटिस दिया गया । विभागीय छात्रावास/आश्रमों में सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं अपलेखन की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार समिति गठित कर नियमित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है । भौतिक सत्यापन के दौरान सामग्री कम पाई गई जिसका मूल्य रूपये 71437/- है जो 22 संस्थाओं के अधीक्षक/ अधीक्षिकाओं से वसूल किये जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है । छात्रवृत्ति वितरण की जांच उपरांत 30 प्रकरण तैयार कर पुलिस विभाग को एफ.आई.आर. दर्ज हेतु सौंपे गये जिसमें से 23 प्रकरणों में न्यायालय चालान प्रस्तुत किये गये हैं । छात्रावास/आश्रमों में अपलेखन/नीलामी आदि एवं छात्रवृत्ति के संबंध में बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 अनुसार कार्रवाई की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 12-31/2002/4/25, दिनांक 03.07.2006** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 21520/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 25.08.2006 एवं पत्र दिनांक 15.07.2009, 01.06.2011, 01.12.2012, 10.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***अधीक्षक/अधीक्षिकाओं से राशि वसूली की पूर्ण जानकारी ।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है ।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119	497	परि.अता.प्र.सं.61 (क्र.1653) दि. 05.03.2002	ग्राम जैतपुर कलां, जिला राजगढ़ में स्थापित 100 किलोवाट क्षमता के सोलर फोटो वोल्टाईक पावर प्लांट के प्रदाय एवं स्थापना में भुगतान शर्तों की अवहेलना कर दिये गये भुगतान में प्राप्त शिकायत की जांच एवं उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	दिनांक 11.05.2001 को प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में तकनीकी एवं प्रशासकीय परीक्षण कराया जा रहा है तदुपरांत आवश्यक हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।	प्रकरण की जांच माननीय लोकायुक्त द्वारा की जा रही थी । माननीय लोकायुक्त के जांच प्रतिवेदन (उनकी पत्र क्रमांक 2054 दिनांक 27.11.03) में प्रकरण में हुई अनियमितताओं के लिये श्री जितेन्द्र शर्मा, मुख्य अभियंता, श्री पुनीत गुजराल तथा श्री श्रीकांत देशमुख अधीक्षण यंत्री श्री बी.के.व्यास, सहायक यंत्री, तथा श्री नाटेकर तत्कालीन लेखाधिकारी (वर्तमान में छत्तीसगढ़ ऊर्जा विकास अभिकरण में पदस्थ) के विरूद्ध विभागीय जांच कर समानुपातिक शास्तियां अधिरोपित करने की अनुशंसा की गई । प्रकरण में नियमानुसार उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई । आश्वासन में उल्लेखित अनियमितता का संबंध श्री जितेन्द्र शर्मा, मुख्य अभियंता व श्री श्रीकांत देशमुख, अधीक्षण यंत्री (वर्तमान में पदावनत होकर कार्यपालन यंत्री) की विभागीय जांच से है, जो कि पूर्ण हो गई हैं । इन दोनों विभागीय जांचों में उन्हें दोषी पाये जाने पर शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आदेश दिनांक 23.05.07 को जारी किये जा चुके हैं । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/510/13/2002, दिनांक 23.07.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
120	501	अता.प्र.सं.66 (क्र.2836) दि. 13.03.2002	ऊर्जा जनकल्याण समिति गुना द्वारा चूल्हे निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्यवाही विधिक सलाहकार की राय पर की गई थी उनसे प्रकरण आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो को सौंपे जाने के संबंध में पुन: मत प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में थाना हबीबगंज, भोपाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्यवाही विधिक सलाहकार की राय पर की गई थी । थाना हबीबगंज जिला भोपाल द्वारा क्र.था.प्र./हबीब/आर-1820/2014 दिनांक 29.11.2014 के द्वारा अवगत कराया है कि अपराध क्रमांक 133/2002/धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि में आरोपी दीपक बुलानी, जी.एन. शुक्ला की गिरफ्तारी हो चुकी है 01 अन्य सात आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य एकत्र कर गिरफ्तारी की जानी है, प्रकरण विवेचना में है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11-14/2013/साठ, दिनांक 20.01.2015** **अद्यतन जानकारी –** प्रकरण में थाना हबीबगंज, भोपाल के अपराध क्र. 133/2002 धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक हबीबगंज संभाग, भोपाल द्वारा की जा रही हैं । प्रकरण अभी विवेचना में लंबित है तथा विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **745 ई-11-14/2013/साठ, दिनांक 05.08.2015**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121	505	ता.प्र.सं.11 (क्र.4380) दि. 03.04.2002	श्योपुर जिले में 33 के.व्ही. बडौदा ढोटा गौराजी और सलमना सब स्टेशनों को 33 के.व्ही लाइन में जोड़ने एवं ढोटी, बड़ौदा, चन्द्रपुर सबस्टेशनों को आरंभ करने के लिए 10 किमी की लाइन में बढ़ोत्तरी कर 33 के.व्ही. लाइन से जोड़ने की कार्यवाही।	उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में इस ढोटी की 33 के.व्ही. लाइन को पूर्ण करने का कार्य कर सकेगें।	1. स्वीकृत लाइन कार्य पूर्ण कर 10 किमी 33 के.व्ही. खींचकर दिनांक 04.01.03 को चार्ज कर दिया गया है। 2. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र श्योपुर से अतिरिक्त 26 किमी. 33 के.व्ही. लाइन का कार्य सिस्टम स्ट्रेथनिंग योजना में प्राक्कलन क्र. 59-026-4850-06-0109 दिनांक 23.03.07 स्वीकृति राशि 6051620/- के तहत एसटीसी संभाग को कार्यादेश जारी किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। जिसकी 31.08.2008 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2088/एफ-11/510/13/ 02, दिनांक 17.03.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
122	508	ता.प्र.सं. (क्र.4393) दि. 10.04.2002	मुरैना एवं शिवपुरी में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से जारी नहीं रखने के लिये जवाबदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राप्त परिणामों के अनुसार उन्हें दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।	(1) मुरैना एवं शिवपुरी में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से जारी नहीं रखने के लिये श्री के.पी. दीक्षित, कनिष्ठ यंत्री एवं श्री राकेश श्रीवास्तव, कनिष्ठ यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्री दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 30.06.01 संतोषजनक पाये जाने के कारण आदेश क्रमांक 1056-57 दिनांक 27.02.02 द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। (2) श्री राकेश श्रीवास्तव को प्रकरण में दोषी पाये जाने पर उनकी आगामी दो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियां दो वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1054-55 दिनांक 27.02.2002 से जारी किया गया था। तदुपरांत अधीक्षण यंत्री मुरैना के पत्रांक 1360-61 दि. 30.10.02 से श्री राकेश श्रीवास्तव, कनिष्ठ यंत्री की आगामी वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/501/02/13, दिनांक 25.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
123	509	अता.प्र.सं.21 (क्र.4863) दि. 10.04.2002	सतना जिले के अधीक्षण यंत्री द्वारा ड्यूज सेटलमेंट कमेटी के गठन के पूर्व अनियमितताओं से निपटाये गये प्रकरणों की जांच एवं राशि की वसूली की जाना।	उक्त जांच में पाए गए दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	आश्वासन में शामिल 26 प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:- 1. 22 उपभोक्ताओं से कमेटी द्वारा निराकृत होने के उपरांत कुल राशि रू.17,26,80/- जमा कराया जा चुका है, जिसमें विवादित प्रकरणों की राशि भी सम्मलित है। 2. 4 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है, जिसकी कार्यवाही जारी है। विवरण निम्नानुसार है :- (i) एस.डी.ओ. टेलीफोन, रामपुर के द्वारा 44012/- राशि जमा कराई गई शेष प्रकरण विचाराधीन है। (ii) हरीश मिनरल जैतवारा का प्रकरण न्यायालय के आदेशानुसार रू. 50000/- जमा होने के उपरांत लाईन चालू की गई शेष प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। (III) संत एकर्म थियोलोजिकल कालेज, कोठी एवं (iv) भगवान दास के प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3771/एफ-11/501/2002/ 13, दिनांक 29.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
124	511	ता.प्र.सं.10 (क्र.5275) दि. 17.04.2002	श्योपुर जिले में 1 जनवरी 1999 से सेमी परमानेन्ट कनेक्शनों को परमानेन्ट किये जाने के लंबित प्रकरणों में शार्ट एस्टीमेट की त्रुटि बाबत् दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर जांच निष्कर्ष के आधार पर उचित कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रकरण में श्री एस.सी. गोयल, सहायक यंत्री (टीबीपीएस) एवं श्री नवनीत गुप्ता, कनिष्ठ यंत्री के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। कंपनी के आदेश क्रमांक 1525-26 दिनांक 08.09.2004 से श्री एस.सी. गोयल को चेतावनी दी जाकर प्रकरण निराकृत कर दिया गया है। श्री नवनीत गुप्ता, कनिष्ठ यंत्री के विरूद्ध अधीक्षण यंत्री (संस) शिवपुरी के आदेश क्र. 307-8 दिनांक 04.06.08 से परिनिंदा से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **11/501/02/13, दिनांक 25.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
125	533	ता.प्र.सं.15 (क्र.2838) दि. 14.03.2002	विस्थापित तवा संघ द्वारा मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली में 5 प्रतिशत झोंक के नाम से कटौती किए जाने के मछुआरों को दिये जाने वाले राशि से कथित रूप से कल्याण कोष के नाम पर काटी जाने वाली राशि तथा 50 प्रतिशत रायल्टी के हिसाब से मछुआरों के 89 लाख रूपये न देकर अन्य मद में खर्च किए जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	1. उसमें 11.50 रूपये कमी हुई है व गलत तरीके से हुई है उसकी हम जांच करवायेंगे जो कार्यवाही हो सकती है मछुआरों के पक्ष में वह कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। 2. यह पैसा भी काटा जाना उचित नहीं है यह भी नहीं काटा जाना चाहिए था उसकी भी जानकारी बुलाएंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। 3. रू.89 लाख का जो अन्य मदों में खर्च बताये गये हैं वह उचित तरीके से नहीं बताये गये है उसकी जांच करेंगे और दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।	वर्तमान में प्रकरण वसूली के संबंध में सक्षम न्यायालय, रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें के अधीन विचाराधीन है। प्रकरण में अधिक समय व्यतीत होने एवं न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आश्वासन का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 27.10.2009** समिति द्वारा विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र. 12982/वि.स./आश्वा./2010, दिनांक 02.07.2010 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***प्रकरण में वसूली के लिए की गई कार्रवाई एवं न्यायालय रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं के निर्णय की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराएं।*** 1. आश्वासन क्रमांक 533 के जांच हेतु शासन द्वारा आदेश क्रमांक 18-27/2002/36, दिनांक 17 मई, 2002 से समिति गठित की गई। 2. समिति ने दिनांक 29.08.2002 को जांच हेतु टर्म्स ऑफ रिफरेन्स तक किये तथा कार्यवाही हेतु जिला पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद को अधिकृत किया। 3. **उप पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा तवा संघ के लेखों की जांच की गई जिसमें तवा संघ को रू.26,26,838.60/- की आर्थिक अनियमितताओं के लिए दोषी पाया।** 4. अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि उप पंजीयक, होशंगाबाद द्वारा तवा संघ के संचालकों को प्रकरण के संबंध में कई बार सुनवाई के अवसर दिये गये तथा आदेश पत्रिका में भिन्न-भिन्न टिप्पणियां उल्लेखित की गई। कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 1746, दिनांक 18.12.2007 एवं 248, 11.02.2008 से सूचित किया कि तवा संघ अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों का निराकरण मानकर समस्त कार्यवाहियां नस्तीबद्ध कर दी गई तथा दिनांक 24.06.2007 को **"तवा संघ के संचालक मण्डल के नवीन निर्वाचन हो जाने के लिए कारण प्रकरण में अब कोई कार्यवाही संभव नहीं।"** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 16.08.2010**	समिति इस मामले में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विभाग द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी से यह परिलक्षित होता है कि इस मामले में आरंभ से ही लापरवाही बरती जा रही थी। सक्षम न्यायिक संस्थाओं के समक्ष विभाग का पक्ष पूरी जिम्मेदारी एवं मजबूती से नहीं रखा जा रहा था। विभागीय लापरवाही की हद तो यह है कि एक ओर तो यह कहा गया कि **"तवा संघ को रू.26,26,838.60/- की आर्थिक अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया"**। वही दूसरी ओर यह भी कहा गया कि **"तवा संघ के संचालक मण्डल के नवीन निर्वाचन हो जाने के लिए कारण प्रकरण में अब कोई कार्यवाही संभव नहीं।"** विभाग द्वारा इस प्रकार की विरोधाभाषी एवं भ्रमित करने वाली जानकारी दी जाना निश्चित रूप से विभागीय अधिकारियों के दुस्साहस की पराकाष्ठा है। इसके साथ-साथ एक तथ्य यह भी है कि यह मामला जनवरी, 2015 तक न्यायालय में लंबित था। इस मामले में न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई किये जाने के साथ-साथ इस प्रकार के भ्रमित करने वाले तथ्यों की जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई किये जाने की समिति पक्षधर है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 19433/वि.स./आश्वा./10, दिनांक 24.09.2010 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***वसूली की अद्यतन/पूर्ण जानकारी यथाशीघ्र प्रारूप पत्र में 30 प्रतियों में दिनांक 14.09.2010 की बैठक अनुसार यथाशीघ्र जानकारी भेजें।*** पूर्व में आश्वासन की जानकारी विभाग द्वारा पत्र क्र. 18-27/2002/36, दिनांक 16.08.2010 से भेजी जा चुकी है। प्रकरण में तवा संघ द्वारा माननीय न्यायालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को अपील दायर की गई है। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। आगामी सुनवाई की तिथि 02 सितम्बर,2011 को नियत है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 24.08.2011** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 23986/वि.स./आश्वा./12, दिनांक 30.11.2012 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***वसूली की अद्यतन/पूर्ण जानकारी यथाशीघ्र प्रारूप पत्र में 30 प्रतियों में दिनांक 14.09.2010 की बैठक अनुसार भेजें।*** विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 2838 से उदभूत आश्वासन क्रमांक 533 में दिये गये आश्वासन की जांच हेतु समिति गठित की गई थी। इस समिति ने दिनांक 29.08.2002 को जांच हेतु टर्म्स आफ रिफरेंस तय किये तथा कार्रवाई हेतु जिला पंजीयक सहकारी समितियां होशंगाबाद को अधिकृत किया गया। जिला पंजीयक द्वारा आश्वासन के बिन्दुओं पर तवा संघ के लेखों की जांच की गई तथा तवा संघ को राशि रू.26,26,838.60 लाख की आर्थिक अनियमितताओं के लिये दोषी पाया। महासंघ द्वारा इस राशि की वसूली हेतु तवा संघ के विरूद्ध धारा 64 अंतर्गत प्रकरण दायर किया गया। जिस पर मा.न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा दिनांक 03.06.2010 को निर्णय पारित किया। जिसके अनुसार तवा संघ को, राशि रू.26,26,838.60 लाख पर 08 प्रतिशत ब्याज सहित राशि महासंघ को भुगतान करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध तवा संघ द्वारा माननीय न्यायालय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल में प्रथम अपील दायर की। मान.न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 24.05.2012 को अंतिम सुनवाई पश्चात् तवा संघ की अपील अमान्य करते हुये मत्स्य महासंघ का दावा यथावत मान्य किया गया। तवा संघ द्वारा पंजीयक के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील सहकारी अधिकरण में की गई है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 09.05.2013 की तिथि नियत है। महासंघ द्वारा मा.न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 03.06.2010 अनुसार तवा संघ से रू.26,26,898.00 पर 8 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वसूली एवं डिक्री निष्पादन हेतु वसूली अधिकारी, जिला होशंगाबाद में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु श्री जमील खान, सहायक प्रबंधक(लेखा) को प्रकरण का प्रभारी नियुक्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 30.04.2013** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र.11629/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 28.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***(1) इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जानकारी।*** ***(2) मछुआरों के भुगतान की अद्यतन स्थिति।*** ***(3) वर्ष 2002 के आश्वासन पर अब तक कार्रवाई पूर्ण न हो पाने के कारणों पर टीप दें।*** ***(4) दिनांक 09.05.2013 की सुनवाई और निर्णय की अद्यतन स्थिति।*** प्रकरण में तत्कालीन तवा मत्स्य संघ केसला के कार्यकाल के दौरान, उनके द्वारा आर्थिक अनियमितताएं किये जाने के संबंध में शासन द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी, जिस पर जिला पंजीयक सहकारी समितियों ने लेखों की जांच करते हुए तवा मत्स्य संघ को रू.26,26,838.60 की अनियमितता का दोषी पाया गया। महासंघ द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करने पर तवा मत्स्य संघ केसला द्वारा वर्तमान स्थिति में अपनी अपील सहकारी अधिकरण, भोपाल में दायर की गई है, जो विचाराधीन है। मामले में सहकारी अधिकरण, भोपाल का निर्णय प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई हो सकेगी। प्रकरण में माननीय न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जावेगी। प्रकरण में जिला पंजीयक सहकारी समितियां होशंगाबाद की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् से ही न्यायालयों में	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					विचाराधीन रहा है, जिससे कार्रवाई में विलंब हो रहा है । वर्तमान स्थिति में भी यह प्रकरण मा.सहकारी अधिकरण में विचाराधीन है । दिनांक 09.05.2013 के पश्चात् सुनवाई हेतु दिनांक 21.05.2013 की तिथि नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक को भी सुनवाई नहीं हो पाई । सुनवाई हेतु आगामी तिथि दिनांक 01.07.2013 को नियत है । प्रकरण न्यायालय के अध्यधीन होने के कारण निराकरण में विलंब की संभावना है । **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 03.07.2013** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र. 15817/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 17.07.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***दिनांक 01.07.2013 की सुनवाई में हुये निर्णय की अद्यतन जानकारी।*** प्रकरण में दिनांक 01.07.2013 को सुनवाई नहीं हो सकी । सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 12.09.2013 को नियत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 30.08.2013** **विभाग द्वारा इसके पश्चात् निम्नानुसार अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई गई ।** वर्तमान में प्रकरण राज्य सहकारी अधिकरण में विचाराधीन है । दिनांक 01.07.2013 को सुनवाई नहीं हो सकी । पुन: सुनवाई हेतु तिथि दिनांक 12.09.2013 को नियत की गई थी । तत्पश्चात् से निरंतर पेशी हो रही है। आगामी पेशी दिनांक 21.01.2015 को तर्क हेतु नियत है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ18-27/2002/छत्तीस, दिनांक 26.11.2014**	

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
126	159	अशासकीय संकल्प दि. 08.03.2002	अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण।	सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण 03 माह में निश्चित होगा।	दिनांक 01.03.2002 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित 446 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **सी 8-26/1/3/08, दिनांक 27.05.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
127	548	अता.प्र.सं.94 (क्र.4418) दि. 14.03.2002	सतना जिले के मैहर गोली चालन की न्यायिक जांच के प्रतिवेदन में दोषी के विरूद्ध दिए गए सुझावों पर कार्यवाही।	प्रतिवेदन पर पारित संकल्प के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में गृह (सी) विभाग द्वारा अवगत किया गया है कि तत्कालीन उप निरीक्षक श्री राजेश सिंह बघेल के विरूद्ध जांच आयोग द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने से उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक-पुमु/1/रापुसे/ 2/2604/03, द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-17/2003/1-10, दिनांक 03.09.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
128	564	परि.अता.प्र.सं.41 (क्र.5012) दि. 08.04.2002	श्री ब्रजेश कुमार कविश्वर, पोषण आहार निरीक्षक की सेवाएं पैतृक विभाग को नहीं सौंपी जाना।	प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जाकर निर्णय अनुसार कार्रवाई की जावेगी।	श्री ब्रजेश कुमार कविश्वर, पोषण आहार निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनकी सेवाएं उनके पैतृक विभाग को संचालनालय महिला एवं बाल विकास के आदेश दि. 18.11.03 द्वारा वापिस की गई थी, जिस आदेश के विरूद्ध श्री कविश्वर द्वारा मा. न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है जो कि वैकेट नहीं हुआ है। प्रकरण यथास्थिति में है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 5-17/2002/50-1, दिनांक 06.01.2006** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.24300/वि.स./आश्वा./2012 दि. 04.12.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***स्थगन रिक्त कराने हेतु की गई कार्यवाही अद्यतन स्थिति की जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
129	565	अता.प्र.सं.68 (क्र.6073) दि. 08.04.2002	संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पद रिक्त न होने के बावजूद दी गई नियुक्तियां।	प्रकरण की जांच के उपरांत दोषी पाये जाने पर ही कार्यवाही की जावेगी।	आश्वासन के संदर्भ में तत्कालीन परियोजना संचालक श्री सुनील कुजूर द्वारा पूर्व में ही प्रकरण में जांच की गई है। श्री कुजूर ने प्रतिवेदन में भर्ती प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण नहीं माना है। उन्होनें प्रतिवेदित किया है कि नियुक्ति रिक्त पद उपलब्ध होने की प्रत्याशा में की गई थी। पद रिक्त न होने के कारण नियुक्त किये गये आवेदकों को रिक्त वरिष्ठ पदों के विरूद्ध दैनिक वेतन पर रखा गया। बाद में दिनांक 25.02.92 को नियुक्त कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति आदेश जारी किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ5-21/2002/50-1, दिनांक 15.11.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130	572	अता.प्र.सं.61 (क्र.7238) दि. 15.04.2002	महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल में श्री नईम खान प्रभारी पोषण आहार तथा परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर जांच तथा दोषी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ।	1. परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । 2. जांच एवं कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब का परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संचालनालय के आदेश दिनांक 24.06.2002 द्वारा श्री नईम खान प्रभारी पोषण आहार निरीक्षक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण निलंबित कर आदेश दिनांक 24.10.2002 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई । प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर भविष्य में अधिक सतर्कता और संबंधित सभी नियम निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर उनका कड़ाई से पालन करते हुये कार्य सम्पन्न करने की समझाइश देते हुये प्रकरण समाप्त किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2024/1977/2011/50-1, दिनांक 30.09.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
131	575	अता.प्र.सं.08 (क्र.5373) दि. 15.04.2002	संजय गांधी चिकित्सालय, रीवा को प्रदायित सामग्री का आदेश सेकेण्ड लोएस्ट बिडर के स्थान थर्ड लोएस्ट बिडर को दिये जाने से अधिक किए गए भुगतान की क्षति की जांच एवं क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत ही उचित कार्यवाही की जावेगी।	1. प्रकरण में श्री सी.एम. व्यास, प्रबंधक से माह जून, 13 तक रूपये 1,22,895/- की वसूली की जा चुकी है। 2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2010 को पारित निर्णय के विरूद्ध निगम द्वारा श्री आर.डी. वैद्य सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (तक) एवं डॉ. एस.सी. जैन सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक (तक) के प्रकरण में क्रमश: रिट अपील क्रमांक 391/2010 एवं 393/2010 दिनांक 11.05.2010 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3. अपील क्र. 393/2010 में अर्जेन्ट हियरिंग हेतु निगम की ओर से आवेदन दिनांक 18.06.2012 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.12 को अंतिम सुनवाई हेतु आदेश जारी किये गये थे। उक्त दोनों प्रकरण आज दिनांक तक सुनवाई हेतु सूचीबद्ध नहीं हुए एवं मान. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। श्री आर.डी. वैद्य एवं डॉ. एस.सी. जैन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने के कारण क्रमश: कन्टेम्पट पिटीशन क्रमांक 1142/2010 एवं 226/2011 विरूद्ध श्री विनोद सेमवाल, प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम दायर की गई है। दिनांक 21.06.12 को हुई सुनवाई में श्री विनोद सेमवाल का नाम हटाया गया। आज दिनांक तक कन्टेम्प्ट पिटीशन में याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य किसी को प्रतिवादी नामांकित किये जाने की सूचना निगम को नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ21-17/2002/सी ग्यारह, दिनांक 22.10.2014**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
132	576	मांग संख्या-11 दि. 19.03.2002	विधायकों/सांसदों द्वारा की जाने वाली जन सहयोग की राशि के बराबर राशि शासन द्वारा मिलाई जाने संबंधी नीति बनाई जाने की कार्यवाही।	ठीक से इस पर विचार कर लेगें।	मा. सांसद/विधायक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण/संधारण हेतु राशि स्वीकृत करने पर विभागीय बजट से Matching Grant 50:50 आधार पर दिया जाएगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ12-108/2007/बी-ग्यारह, दिनांक 09.09.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
133	590	अता.प्र.सं.22 (क्र.661) दि. 05.03.2002	संचालक, गैस राहत विभाग भोपाल को श्री खेमराज पाटीदार एवं श्री मनोहर ऊँटवाल विधायकों द्वारा दिनांक 29.03.01 एवं 02.06.01 को की गई शिकायतों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हो गया है। इसी विषय से संबंधित एक प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में विचाराधीन है, जिसे लोकायुक्त द्वारा दिनांक 31.12.05 को समाप्त किया जा चुका है। डॉ. ए.एन. सेठ, तत्कालीन अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल द्वारा दिनांक 16.02.05 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 13-3/02/47, दिनांक 27.06.2006**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
134	595	परि.अता.प्र.सं.52 (क्र.2227) दि. 13.03.2002	सिवनी जिले के बरघाट नगर स्थित जामा मसजिद के पूर्व सदर अब्दुल हमीद खान द्वारा मसजिद कमेटी की धनराशि की हेराफेरी के संबंध में कार्यवाही की जाना।	बोर्ड स्तरीय सब कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सब कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही हो सकेगी । यदि बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो उसके पश्चात कार्यालय से अ. हमीद से उक्त राशि बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल की जावेगी।	वक्फ अंजुमन इस्लामियां ट्रस्ट जिला सिवनी के पूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल हमीद से गबन की राशि भू-राजस्व की वसूली भांति किये जाने के लिये कलेक्टर सिवनी को आर.आर.सी. दिनांक 16.04.03 को भेज दी गई है तथा दिनांक 03.11.03, 01.01.04, 17.02.04, 02.06.04, 28.06.04, 06.05.05 एवं दिनांक 23.06.05 को स्मरण भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सदर के विरूद्ध दिनांक 08.08.04 को भा.द.स. की धारा 406, 409 एवं 420 के तहत रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-3/02/47, दिनांक 27.06.2006**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
खेल एवं युवक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
135	599	ता.प्र.सं.13 (क्र.2895) दि. 16.04.2002	भिण्ड जिले में निर्माणाधीन स्टेडियम में हुई अनियमितताओं की जांच तथा उच्च शिक्षा विभाग से नगरपालिका को भूमि स्थानांतरण हेतु आपत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) प्राप्त किया जाना।	हम इसमें त्वरित कार्यवाही करेंगे।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इसलिये जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भूमि हस्तांतरण (एन.ओ.सी्) करने हेतु कलेक्टर भिण्ड में अपने पत्र क्रमांक 150/02 दिनांक 19 जुलाई, 2002 द्वारा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण नहीं की गई है, अतएव उक्त भूमि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जब तक हस्तांतरित नहीं की जाती, तब तक इस विभाग द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2412/खेयुक./अप्रो/2009, दिनांक 18.09.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
136	564	मॉ शारदा विधेयक क्रमांक 8 सन् 2002 दि. 11.04.2002	मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में वंशानुगत पीढियों से चले आ रहे परम्परागत पुजारी परिवार के माध्यम से ही पूजा अर्चना का कार्य कराया जाना तथा पुजारी परिवार को मिलने वाली अंशदान राशि का और अधिक सरलीकरण किया जाना।	1. मैं इस बात के लिये आश्वस्त कर चुका हूँ कि जैसे ही इन नियमों का निर्माण होगा उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा, इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि जो इस विधा में पारंगत है, पीढी दर पीढ़ी करते आए हैं, उनके हितों के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं होगा। 2. जो राशि मा. श्रद्धेय गुरूजी के लिये प्राप्त होती है, उस राशि से भी कोई ज्यादा देना चाहे तो उस राशि का निर्धारण भी समिति करेगी उसमें कोई रोक टोक की व्यवस्था नहीं है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17.03.2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 28 विभागों के 136 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में समिति द्वारा किये गये परीक्षण में यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 13 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 13 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 23 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई । कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें विभागों द्वारा प्रारंभिक जानकारी (परिशिष्ट - 3) तक उपलब्ध नहीं कराई गई है । समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं । जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी । मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है । फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है । मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है ।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है । समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है । समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है ।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है । इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते । इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है ।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके ।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच, वसूली तथा उत्तर अप्राप्त आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों ।

:: परिशिष्ट - 2 ::

अनिर्णीत प्रकरण

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

आश्वासन क्रमांक	06
आश्वासन क्रमांक	07
आश्वासन क्रमांक	12
आश्वासन क्रमांक	28
आश्वासन क्रमांक	33
आश्वासन क्रमांक	40
	516

गृह(पुलिस) विभाग

आश्वासन क्रमांक	186

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	246
आश्वासन क्रमांक	260
आश्वासन क्रमांक	269

लोक निर्माण विभाग

आश्वासन क्रमांक	302
आश्वासन क्रमांक	307
आश्वासन क्रमांक	320

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	358

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	363

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	447

आयुष विभाग

आश्वासन क्रमांक	475

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	492+493

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

आश्वासन क्रमांक	501

महिला एवं बाल विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	564

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

आश्वासन क्रमांक	575

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	595

:: परिशिष्ट - 3 ::

उत्तर अप्राप्त

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	96
आश्वासन क्रमांक	113
आश्वासन क्रमांक	600

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	347
आश्वासन क्रमांक	351
आश्वासन क्रमांक	355

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	564

:: परिशिष्ट - 4 ::

फरवरी-अप्रैल 2002, सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	नगरीय प्रशासन एवं विकास	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	03	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	05	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	08	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	09	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	11	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	13	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	14	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	16	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	18	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	19	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	20	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	21	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	22	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	25	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	26	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	29	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	30	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	31	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	36	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	38	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	39	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	41	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	42	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	44	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	45	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	46	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	47	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	48	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	49	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	50	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	51	"	उन्नीसवां एवं बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	52	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	53	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	54	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	55	जल संसाधन	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	56	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	57	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	60	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	61	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	62	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	63	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	64	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	65	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	66	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	67	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	68	जल संसाधन	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	69	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

49.	70	जल संसाधन	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	71	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	72	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	73	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	74	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	75	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	76	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	78	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	80	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	81	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	82	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	83	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	84	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	86	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	88	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	89	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	90	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	91	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	92	राजस्व	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	93	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	98	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	101	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	102	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	104	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	105	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	106	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	107	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	108	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	109	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	110	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	111	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	112	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	114	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	115	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	117	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	118	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	119	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	120	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	121	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	123	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	124	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	125	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	127	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	128	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	130	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	131	गृह	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	132	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
96.	133	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	134	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	137	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	138	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	139	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	140	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	141	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

103.	142	गृह	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	144	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	145	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	146	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	147	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	148	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	149	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	150	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	151	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	152	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	153	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	154	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	156	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	158	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	160	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	161	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	164	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	165	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	167	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	168	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	189/169	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	170	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	171	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	172	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	173	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
128.	174	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	175	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	176	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	177	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	178	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	180	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	181	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	182	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	183	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	184	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	185	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	187	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	188	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	189	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	191	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	192	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	197/193	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	195	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	196	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	197	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	198	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	199	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	200	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	201	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	202	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	203	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	205	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
155.	206	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	207	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

157.	208	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
158.	209	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	211	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	212	"	(212+217) एकजाई	द्वादश विधानसभा
161.	213	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	215	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	216	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	217	"	(212+217) एकजाई	द्वादश विधानसभा
165.	218	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	219	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	220	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	223	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	224	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	225	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	226	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	227	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
173.	229	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	230	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	231	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	232	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	233	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	234	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	235	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	236	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	239	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	240	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	241	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	242	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	244	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
186.	245	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	247	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	248	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	250	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	252	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	253	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	256	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
193.	257	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	258	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
195.	259	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	261	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
197.	262	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
198.	263	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
199.	264	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
200.	265	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	266	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	270	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	271	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	272	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	273	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	274	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	275	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	276	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
209.	277	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	278	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

211.	279	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
212.	280	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
213.	281	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	282	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
215.	283	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	284	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	285	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	286	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	287	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	288	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	289	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	290	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	291	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	292	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	293	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	294	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	295	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	296	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	297	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	299	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
231.	300	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
232.	301	लोक निर्माण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
233.	303	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
234.	304	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
235.	305	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
236.	306	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
237.	308	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
238.	309	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
239.	311	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
240.	312	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
241.	313	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
242.	314	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
243.	315	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
244.	316	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	318	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	319	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	321	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
248.	322	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	323	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	324	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	327	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	328	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	329	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
254.	331	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	333	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	334	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
257.	335	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
258.	339	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	340	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
260.	341	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
261.	342	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
262.	343	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
263.	344	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	345	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

265.	348	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
266.	350	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
267.	353	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
268.	354	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	357	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
270.	359	स्कूल शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
271.	360	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
272.	361	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
273.	362	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	364	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
275.	364 (A)	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
276.	365	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
277.	366	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
278.	367	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
279.	368	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
280.	369	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
281.	370	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
282.	371	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
283.	372	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
284.	373	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
285.	374	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
286.	375	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
287.	376	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
288.	378	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
289.	379	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
290.	380	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
291.	381	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
292.	382	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
293.	384	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
294.	385	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
295.	386	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
296.	388	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
297.	390	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
298.	391	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
299.	392	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
300.	393	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
301.	394	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
302.	395	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
303.	396	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
304.	397	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
305.	398	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
306.	399	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
307.	400	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
308.	401	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
309.	402	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
310.	403	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
311.	404	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
312.	405	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
313.	407	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
314.	408	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
315.	409	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
316.	410	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
317.	411	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
318.	412	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

319.	413	स्कूल शिक्षा	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
320.	414	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
321.	415	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
322.	416	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
323.	418	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
324.	419	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
325.	420	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
326.	422	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
327.	423	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
328.	424	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
329.	425	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
330.	427	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
331.	428	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
332.	429	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
333.	430	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
334.	431	तकनीकी शिक्षा	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
335.	432	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
336.	433	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
337.	434	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
338.	438	सहकारिता	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
339.	439	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
340.	440	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
341.	441	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
342.	445	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
343.	446	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
344.	448	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
345.	449	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
346.	450	आदिम जाति कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
347.	451	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
348.	452	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
349.	453	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
350.	454	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
351.	455	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
352.	456	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
353.	457	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
354.	458	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
355.	459	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
356.	460	वन	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
357.	462	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
358.	463	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
359.	465	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
360.	466	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
361.	467	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
362.	468	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
363.	470	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
364.	471	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
365.	472	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
366.	473	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
367.	474	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
368.	476	चिकित्सा शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
369.	478	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
370.	479	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
371.	480	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

372.	481	चिकित्सा शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
373.	482	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
374.	484	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
375.	485	अनुसूचित जाति कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
376.	486	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
377.	488	आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
378.	489	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
379.	490	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
380.	491	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
381.	494	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
382.	495	ऊर्जा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
383.	496	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
384.	498	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
385.	499	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
386.	500	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
387.	502	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
388.	503	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
389.	504	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
390.	506	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
391.	507	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
392.	510	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
393.	512	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
394.	513	आवास और पर्यावरण	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
395.	514	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
396.	515	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
397.	517	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
398.	518	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
399.	519	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
400.	520	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
401.	521	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
402.	522	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
403.	523	उच्च शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
404.	524	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
405.	525	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
406.	526	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
407.	527	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
408.	528	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
409.	529	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
410.	530	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
411.	531	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
412.	532	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
413.	534	मछली पालन	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
414.	535	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
415.	536	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
416.	537	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
417.	539	परिवहन	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
418.	540	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
419.	541	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
420.	542	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
421.	543	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
422.	544	सामान्य प्रशासन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
423.	545	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
424.	546	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

425.	547	सामान्य प्रशासन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
426.	549	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
427.	551	अनुसूचित जाति कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
428.	552	सामान्य प्रशासन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
429.	553	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
430.	554	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
431.	555	पशुपालन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
432.	556	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
433.	557	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
434.	558	ग्रामोद्योग	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
435.	559	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
436.	560	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
437.	561	नर्मदा घाटी विकास	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
438.	562	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
439.	563	महिला एवं बाल विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
440.	566	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
441.	567	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
442.	568	वाणिज्यिक कर	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
443.	569	महिला एवं बाल विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
444.	570	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
445.	571	महिला एवं बाल विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
446.	573	वाणिज्य एवं उद्योग	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
447.	574	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
448.	577	महिला एवं बाल विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
449.	578	सामाजिक न्याय/समाज कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
450.	579	वाणिज्यिक कर	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
451.	580	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
452.	581	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
453.	582	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
454.	583	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
455.	584	वित्त	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
456.	585	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
457.	586	श्रम	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
458.	587	वाणिज्य एवं उद्योग	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
459.	588	श्रम	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
460.	589	वाणिज्य एवं उद्योग	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
461.	591	गैस राहत त्रासदी	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
462.	592	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
463.	593	खनिज साधन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
464.	594	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
465.	596	जेल	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
466.	597	धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
467.	598	जन शिकायत निवारण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
468.	600	राजस्व		
469.	601	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
470.	602	राजस्व	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
471.	603	"	विलोपित	
472.	604	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
473.	605	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
474.	606	धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा